


uhcp

विकास योजना
2031

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

उज्जैन राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय नगर नीमच मालवा के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में राजस्थान की सीमा के निकट महु-नसीरावाद राज्य मार्ग तथा खंडवा-अजमेर रेलवे लाईन पर स्थित है। नीमच नगर में ब्रिटिश शासन काल में सैनिक छावनी होने के कारण केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र का नियोजित विकास किया गया। केन्टोमेंट बोर्ड समाप्ति के पश्चात् छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का मुख्यालय बना है, जिसका काफी महत्व है।

नीमच नगर के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 की आवश्यकताओं को आधार मानकर विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किये गये हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवायें, आमोद-प्रमोद, यातायात परिवहन के साथ ही नगर की अद्योसंरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं। यह योजना वर्ष 2031 की जनसंख्या 2.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है, एवं तदानुसार ही यातायात एवं अद्योसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

नीमच विकास योजना 2031 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/14/2014/32 दिनांक 27/3/2017 के द्वारा अनुमोदित की जाकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 7/4/2017 से प्रभावशील है।

मुझे आशा है कि इस विकास योजना के क्रियान्वयन में समस्त क्रियान्वयन संस्थाएँ एवं नागरिक गण अपना सहयोग प्रदान कर नगर को उसके स्वरूप के अनुरूप विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।



संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल

uhēp fōdkl ; kst uk
; kst uk ny

अपर संचालक
ch, u- f=i kBh

vfer xtf0;s

संयुक्त संचालक

fot; I koydj

ijethr dyl h

उप संचालक

, e-, y- oekz

सहायक संचालक
bUnq f=i kBh

I oʒk fi fMgk
, -d¢ dkf'ko
fot; dɛkj nj; kuh

t; Ur 'khy
Äu'; ke nɔky
e'rhyky I 'yadh

मेपकास्ट अधिकारी
Mkw food dVkj's
dq I hek [kku
dq 'kSystk nɔ kbz

fo"k; & I pph

		i "B Ø-
i Lrkouk		i
;kst uk ny		iii
fo"k; I pph		v
I kj .kh I pph		vii
ekufp=ka dh I pph		viii
v/; k; &1 & fu; kstu nf"Vdksk		1&8
1.1	– नियोजन एवं विकास संदर्भ	1
1.2	– क्रियान्वयन परिदृष्य	2
1.3	– योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन	3
1.4	– विकास योजना 2031 की अवधारणा	5
1.5	– भौतिक स्वरूप	6
1.6	– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	6
1.7	– विकास के आधारभूत सिद्धांत	7
v/; k; &2 &fodkl ifjn' ; ,oa i Lrkfor uxjh; v/kl j puk		9&26
2.1	– क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ	9
2.2	– व्यवसायिक संरचना	9
2.3	– निवेश क्षेत्र	10
2.4	– जनसंख्या परिवर्तन	11
2.5	– योजना काल	12
2.6	– योजना उद्देश्य तथा लक्ष्य	13
2.7	– नगर के मुख्य कार्य कलाप	13
2.8	– योजना अवधारणा	14
2.9	– प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2031	14
2.10	– असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	25
2.11	– ग्राम विकास	26
v/; k; &3 & i Lrkfor ; krk; kr I j puk ,oa uxjh; v/kl j puk		27&38
3.1	– प्रस्तावित यातायात संरचना	27
3.2	– यातायात की वर्तमान स्थिति	27
3.3	– प्रस्तावित यातायात प्रणाली	28

3.4	– प्रमुख नगरीय मार्गों की चौड़ाई	29
3.5	– नगरीय अधोसंरचना	35

v/; k; &4 &fodkl fu; eu **39&158**

4.1	– प्रवृत्तशीलता	39
4.2	– क्षेत्राधिकार	39
4.3	– परिभाषाएं	40
4.4	– भूमि उपयोग परिक्षेत्र	41
4.5	– आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन	43
4.6	– विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर आपर्टमेन्ट हाऊसिंग के नियमन	44
4.7	– समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड	45
4.8	– 12.50 मीटर ऊँचे भवनों संबंधी नियम	45
4.9	– वाणिज्यिक क्षेत्र	45
4.10	– औद्योगिक परिक्षेत्र	48
4.11	– अन्य सुविधाएं	48
4.12	– यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	48
4.13	– उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन	49
4.14	– वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	154
4.15	– सामान्य अभिशंसाएं	158

v/; k; &5 fodkl ;kst uk fØ; kÙo; u **159&167**

5.1	– विकास योजना का क्रियान्वयन	159
5.2	– योजना क्रियान्वयन नीति	160
5.3	– पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	161
5.4	– नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	162
5.5	– भूमि विकास नीति	163
5.6	– प्रथम चरण कार्यक्रम	165
5.7	– संसाधन गतिशीलता	165
5.8	– योजना पर्यवेक्षण तंत्र	166
5.9	– योजना की व्याख्या	167

i f j f ' k V **169–172**

I kj .kh I ph

I kj .kh Ø- fooj .k	i "B Ø-	
1-सा-1	भूमि उपयोग मूल्यांकन 1998-2012 (हेक्टेयर में)	3
2-सा-1	व्यवसायिक संरचना 2011	9
2-सा-2	निवेश क्षेत्र	10
2-सा-3	जनसंख्या वृद्धि	11
2-सा-4	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन-2031	15
2-सा-5	निवेश इकाईवार (जनसंख्या एवं क्षेत्रफल)	16
2-सा-6	निवेश इकाईवार प्रस्तावित भूमि उपयोग	17
2-सा-7	आवासों की कमी	19
2-सा-8	अनुमानित परिवार एवं आवास	19
2-सा-9	आय वर्ग अनुसार आवास आवश्यकता	20
2-सा-10	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	21
2-सा-11	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	25
3-सा-1	प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	30
3-सा-2	वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	31
4-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	41
4-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	43
4-सा-3	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन	46
4-सा-4	उपविभाजीत वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन	47
4-सा-5	यातायात/मैकेनिक नगर के मापक	48
4-सा-6	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	49
4-सा-7	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	49
4-सा-8	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण	53
4-सा-9	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण	81
4-सा-10	आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	155
4-सा-11	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात	156
4-सा-12	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास नियमन	157
5-सा-1	योजना क्रियान्वयन लागत (2031)	160
5-सा-2	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	165

ekufp=ka dh I ph

ekufp= Ø-	'kñ"kd	i "B Ø-
2.1	क्षेत्रीय स्थिति	10 अ
2.2	निवेश क्षेत्र	10 ब
2.3	वर्तमान भूमि उपयोग	16 अ
2.4	विकास योजना (2031)	16 ब
2.5	निवेश इकाई	16 स
3.1	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	28 अ
3.2	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	28 ब
5.1	प्रथम चरण मानचित्र	160 अ

1-1 fu; kst u , oafodkl l nHkZ

नगर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय, नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव एवं आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है। इसके लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों को ग्राह्य करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाये, जिससे नगर का सर्वांगीण विकास हो सके।

नीमच विकास योजना – 2011 जो कि नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम प्रयास था। विकास योजना का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-94-99-बत्तीस भोपाल दिनांक 5 जुलाई 2000 जो कि म.प्र. असाधारण राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 1474 दिनांक 14 जुलाई 2000 में प्रकाशित हुई है। उक्त दिनांक से ही नीमच विकास योजना प्रभावशील हुई है।

fodkl ; kst uk 2011 dC mnns ; , oa y{; fuEukuq kj Fks %&

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग।
2. नगर में नये व्यवसायिक केन्द्र का प्रावधान कर वर्तमान विकसित क्षेत्र की गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करना।
3. दक्ष एवं सक्षम यातायात संरचना के माध्यम से नगर के तीनों भागों नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना को आपस के जोड़ने हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना का प्रावधान।
4. नये जिले के गठन होने से पर्याप्त प्रशासनिक केन्द्र का विकास एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार हेतु समुचित प्रावधान।
5. नगरीय एवं अन्तरनगरीय यातायात हेतु परिभ्रमण संरचना उपलब्ध कराना, ताकि नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण किया जा सके।
6. वायु दिशा तथा अन्य उपयोगों से समन्वय रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण एवं विकास।
7. नगर के भावी एवं वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न उपयोगों का निर्धारण कर नगर विकास के प्रस्ताव।
- 8- नगर के मध्य स्थित नाले का पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण का प्रावधान।

fu; kst u l nHkZ dC u; s igyw

नगर नियोजन हेतु भूमि उपयोग वितरण, यातायात एवं परिवहन, आवास तथा नगरीय मूलभूत सेवा सुविधाओं एवं प्रमुख कार्य केन्द्रों का अध्ययन आवश्यक है। नीमच निवेश क्षेत्र की विकास योजना पुर्नविलोकन एवं उपान्तरण के अध्ययन के लिये दिशा निर्धारण के बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- 0 नये विकास क्षेत्र हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु नगरीय केन्द्रों का विकास एवं भूमि का प्रावधान।
- 0 नगरीय एवं क्षेत्रीय परिवहन हेतु सुगम परिवहन तंत्र का विकास।
- 0 कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण।
- 0 मूलभूत सेवा सुविधाओं का प्रावधान।
- 0 प्राकृतिक एवं पुरातत्वीय महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं विकास।

1-2 fØ; kko; u ifjn' ;

नीमच विकास योजना – 2011 में क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता अर्जित करने का लक्ष्य था, किन्तु उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

शासन द्वारा विकास योजना क्रियान्वयन का दायित्व नीमच नगर पालिका को सौंपा गया था। संसाधनों के अभाव में योजना 2011 के उद्देश्यों को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। विकास योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया अनेकों बार गुणात्मक मूल्यों के संदर्भ में प्रभावित हुई है। नगर में ब्रिटिश शासन काल में छावनी क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग हेतु अनेक बड़े भवनों का निर्माण होकर उनके आस-पास काफी बड़ी मात्रा में रिक्त भूमियां छोड़ी गई थी, किन्तु आजादी के पश्चात से अभी तक इन भूमियों के स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न होने से विकास क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, कि विकास योजना प्रस्तावों को क्रियान्वयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सका। विवाद ग्रस्त भूमि के सम्बंध में जनहित में शासन स्तर पर उचित निराकरण के प्रयास किये जाना आवश्यक है ताकि नगर के मध्य स्थित भूमि का समुचित उपयोग किया जा सके। असामंजस्ता के कारण कुछ अवैध कॉलोनियों एवं झुग्गी-झोपड़ियों की बसाहट हुई है। तथा विकास में संलग्न संस्थाओं के मध्य आसामंजस्य एवं प्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण के तथा व्यावहारिक आधारभूत संरचना का अभाव इत्यादि प्रमुख समस्याएं रही हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रबंधन के अभाव में विकास योजना क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है :-

- 0 संस्थागत संरचना के लिये भूमि आपूर्ति एवं नगरीय प्रबंधन प्रक्रिया में सामंजस्यता का अभाव।
- 0 विकास प्राधिकरण का गठन न होना।
- 0 छावनी क्षेत्र के पुराने बंगलों के आस-पास की भूमियों के स्वामित्व के सम्बंध में विवाद होना।
- 0 नगरीय अधोसंरचना विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता।
- 0 निजी निवेश के लिये संसाधनों को प्रोत्साहन न मिलना।
- 0 क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में कुछ क्षेत्रों में अवांछित विकास, अवैध कॉलोनियां एवं गंदी बस्तियों की बसाहट होना।

1-3 ; kst uk fØ; kllø; u dk eW; krd u

नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हेक्टेयर है तथा भूमि उपयोग दर 8.95 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के आधार पर 2.00 लाख जनसंख्या हेतु विकास योजना 2011 में 1790.00 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्ताव दिये गये थे। वर्ष 2011 के वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 714.00 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है, जो प्रस्तावित क्षेत्र का 39.89 प्रतिशत है। विकास योजना के सम्पूर्ण प्रस्तावों का क्रियान्वयन विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत 1076.00 हेक्टेयर क्षेत्र विकास हेतु शेष रहा। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोगवार विवरण सारणी 1-सा-1 में दिया गया है।

uhev %Hkfe mi ; ksx eW; krd u 1998&2012 %gDV\$ j e%

1-सा-1

vuq Ø-	Hkfe mi ; ksx	{ks-Qy %gDV\$ j e%	nj	orÈku Hkfe mi ; ksx	nj	mPpko; u %4-1/2&1/2	fØ; kllø; u dk i fr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	796	3.98	385	2.95	-411	48.37
2	वाणिज्यिक	149	0.74	62.50	0.48	-86.50	41.95
3	औद्योगिक	189	0.94	40.50	0.31	-148.50	21.43
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	228	1.14	110.50	0.85	-117.50	48.46
5	आमोद-प्रमोद	173	0.87	27	0.21	-146.00	15.60
6	यातायात एवं परिवहन	255	1.28	88.50	0.68	-166.50	34.70
	; ksx	1790	8-95	714-00	5-48	1076-00	39-89

L=kr %& नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण।

ukW %& सन् 2012 की अनुमानित जनसंख्या 1,30,366 मानते हुए प्रति हजार जनसंख्या के मान से भूमि उपयोग दर का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सारणी में ज्ञात होता है, कि विकास योजना के लगभग 39.89 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके हैं। कुछ भूमि उपयोग का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की नगर की जनसंख्या 1,28,575 एवं वर्ष 2012 की जनसंख्या 1,30,366 है। सन् 2012 में वर्तमान भूमि उपयोग अद्यतन किया गया है जिसके अनुसार 714.00 हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में विकसित होकर भूमि उपयोगिता दर 5.48 हेक्टेयर प्रति हजार है। विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है।

vkokl h;

नीमच विकास योजना 2011 में 796.00 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत विकसित करना प्रस्तावित था, जिसका केवल 48.37 प्रतिशत क्षेत्र इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा चुका है। इस प्रकार आवासीय भूमि उपयोगों में अब तक 385.00 हेक्टेयर भूमि का विकास, योजना प्रस्तावों के अनुरूप हुआ है, जिसमें महू मार्ग पर प्रगति नगर, उदय विहार, सनसिटी, ग्रीनपार्क, वैभव नगर, वृन्दावन गार्डन, उदय सिटी, कीर्तिनगर, महावीर नगर, आदि नसीराबाद मार्ग पर सांवरिया नगर, आनन्द नगर, बुरहानी नगर (बोहरा कॉलोनी), राज्य कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, नगर पालिका कर्मचारी कॉलोनी, बंगला नं.-60 कॉलोनी, धनेरिया मार्ग पर द्वारकापुरी एवं एक्सटेंशन सुदाम नगर, गणेश विहार आदि कॉलोनियां निजी कॉलोनाईजरों द्वारा विकसित की गई है। साथ ही भगवानपुरा से ग्वालटोली मार्ग पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा इंदिरा नगर एवं न्यू इंदिरा नगर एक्सटेंशन कॉलोनियां विकसित की गई हैं।

1-3-1 okf.kfT; d

अंगीकृत विकास योजना में 149.0 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित थी, जिसमें 62.50 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। नगर में थोक एवं फुटकर व्यापार मिश्रित रूप में टैगोर मार्ग, जाजू मार्केट, वीरपार्क मार्ग, तिलक मार्ग, बोहरा गली, दानाओली, सामरावली, नायका वली, पटेल चाल, अहिंसा मार्ग (पुस्तक बाजार), नसीराबाद मार्ग, महू मार्ग एवं अम्बेडकर मार्ग, जैन भवन मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां स्थित है। मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है।

1-2-2 vk\$| kfxd

विकास योजना 2011 में औद्योगिक उपयोग हेतु 189.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था जिसमें 40.50 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कुल प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का 21.43 प्रतिशत है।

1-3-3 | kołt fud , oa v) | kołt fud] , oa | kołt fud mi ; kfxrk, a , oa | ok, a

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 288.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था जिसमें से 110.50 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है, जो विकास योजना प्रस्तावों का 48.46 प्रतिशत है। इस उपयोग में प्रमुख रूप से कलेक्टर कार्यालय, पुलिस लाईन, उपभोक्ता फोरम आदि का विकास, योजना प्रस्तावों अनुसार हुआ है।

1-2-4 vkekn&i ekn

विकास योजना 2011 अनुसार आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 173.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी इनमें से 27.0 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.60 प्रतिशत है।

1-3-5 ; krk; kr , oa i fjogu

इस भूमि उपयोग के अन्तर्गत 255.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी इसमें से 88.50 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है जो 34.70 प्रतिशत है।

1-4 fodkl ;kstu 2031 dh vo/kkj.kk

नीमच विकास योजना 2011 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपान्तरित कर नीमच विकास योजना 2031 तैयार की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1,28,575 है तथा वर्ष 2031 की जनसंख्या 2.5 लाख अनुमानित की गई है। अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुए 10.0 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या भूमि उपयोगिता की दर के मान से 2500 हेक्टेयर भूमि को विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

नीमच नगर का विकास तीन भागों के संयुक्तीकरण से हुआ है, जिसमें नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना सम्मिलित है। नीमच सिटी पुरानी आबादी क्षेत्र होकर अनियोजित बसाहट हुई है जिसमें घनी आबादी, संकीर्ण मार्ग के अतिरिक्त, खुले स्थानों का अभाव है। बघाना क्षेत्र भी रेलवे लाईन से उस पार दक्षिण पश्चिम में स्थित होने से, सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है, इस कारण इस क्षेत्र का विकास कम हुआ है। छावनी क्षेत्र में पूर्व से चौड़े मार्ग तथा खुली भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण इस क्षेत्र का विकास सुनियोजित हुआ है। महु-नसीराबाद मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण इस मार्ग पर अधिक विकास हुआ है तथा आगे भी इस मार्ग पर विकास की अधिक संभावना है। कुछ विकास मनासा मार्ग पर भी हुआ है। नगर के उत्तर में केन्द्रीय आरक्षित बल का क्षेत्र होने से इस ओर विकास की कोई संभावना नहीं है। नीमच सिटी तथा अन्य घने क्षेत्र में घनत्व कम करने हेतु नये आवासीय क्षेत्र के प्रस्ताव दिये गये हैं। सुगम यातायात हेतु रेलवे लाईन पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किये गये ताकि पश्चिम क्षेत्र का समन्वित विकास हो सके। नगर के तीनों भाग (नीमच सिटी, बघाना, छावनी) को आपस में जोड़ने हेतु पर्याप्त मार्ग संरचना तथा भारी वाहनों का दबाव कम करने हेतु नगर के बाहर से वृत्तीय मार्ग भी प्रस्तावित किये गये हैं।

विकास योजना 2031 नगर के समन्वित विकास की नीतियों का समूह है, जिसमें नगर विकास के सभी घटकों का समावेश कर नगरीय आबादी को इस प्रकार सुनियोजित किया गया है कि प्रमुख कार्य केन्द्र तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी समन्वय विकल्पों के साथ बना रहे। नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग-अलग क्षेत्रों में प्रस्ताव दिये गये हैं। सुगम एवं मितव्ययी तीव्र यातायात परिवहन तंत्र विकसित करने के दृष्टि से वृत्तीय मार्ग एवं मुख्य मार्गों के प्रस्ताव दिये हैं।

1-4-1 {ks-h; l nHkZ ea fu; kstu

नगर के मध्य से महु-नसीराबाद मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण देश के प्रमुख नगर चित्तोड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल तथा अन्य प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। साथ ही महु-नीमच रेल मार्ग से मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, मन्दसौर आदि प्रमुख नगरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन से सम्बंधित व्यवसाय होता है जैसे गेहूं, चना, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, पोस्ता, अफीम, अजवाइन, इसबगोल, अश्वगंध आदि का कृषि उत्पाद होने से नगर में बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी, रेलवे-स्टेशन के समीप स्थित है। इस मण्डी से कृषि उपज का देश के अन्य प्रमुख नगरों में निर्यात होता है। इस कारण नगर का क्षेत्रीय दृष्टि से भी अधिक महत्व है।

1-5 **11kfrd Lo: i**

नीमच नगर राजस्थान की सीमा से लगकर समतल मैदान पर बसा हुआ है। नगर समुद्र तल से 495.4 मीटर ऊंचाई पर 24 डिग्री – 28' उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री – 52' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है। नगर के उत्तर दिशा से पूर्व की ओर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर दो नाले प्रवाहित हो रहे हैं, जो नीमच सिटी के पास आपस में मिलकर रेतम नदी में मिलते हैं। नगर के मध्य से महु-नसीराबाद मार्ग तथा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन गुजरने के कारण नगर तीन भागों में विभक्त हुआ है।

1-5-1 **itdfrd ty fudkl**

नगर का ढलान सामान्यतः पूर्व से पश्चिम तथा कुछ क्षेत्र में ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। नगरों के मध्य से दोनों बड़े नाले पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहे उक्त दोनों नाले आपस में नीमच सिटी के पास मिलकर रेतम नदी में मिलते हैं। इन नालों से नगर का प्रदूषित जल-मल निकास तथा वर्षा का जल प्रवाहित होता है। इस कारण इन नालों में जल प्रदूषण की संभावना को दृष्टिगत रख पर्यावरण सुधार आवश्यक है।

1-5-2 **tyok; q**

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होने से यहां की जलवायु सौम्य है। यहां पर रात्रि में काफी कम तापमान रहता है। ग्रीष्मकाल में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अधिकतम गर्मी मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक रहती है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहती है। नगर में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से औसत वर्षा 812 मिलीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।

अप्रैल से सितम्बर तक नगर में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर की ओर रहती है, जिसमें सामान्यतः अधिक गति होती है। शेष अवधि में वायु प्रवाह दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर रहती है।

1-6 **, frgkfl d i "Bhkfe**

पूर्व में यह नगर मीना जनजाति का कस्बा होने के कारण 'मीनाच' नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन की सैनिक छावनी होने के कारण इसे नीमच अर्थात् नार्थ इंडिया मिलिट्री एण्ड केवलरी हैड क्वार्टर्स के नाम से भी जाना जाता है तथा नीम के पेड़ों की बहुतायत के कारण इसे नीमच कहा गया है।

ऐतिहासिक रूप से नीमच, मेवाड़ राज्य का भाग था। वर्ष 1790 में सिंधिया रियासत द्वारा इसे अपने राज्य में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1817 में ब्रिटिश शासन द्वारा सिंधिया स्टेट से नगर को प्राप्त कर, इसे सैनिक छावनी बनाया एवं नीमच नाम दिया गया। वर्ष 1822 में यह राजपूताना एवं मालवा राजनैतिक संगठनों का संयुक्त मुख्यालय बना एवं वर्ष 1895 में यह मालवा क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया।

अंग्रेज शासन की समाप्ति के पश्चात् सन् 1952 में एकीकृत नगर पालिका परिषद् का गठन किया गया। नगर पालिका के गठन के उपरान्त नगर के भौतिक विकास को गति प्रदान करने के लिये सन् 1956 में नीमच नगर सुधार न्यास का गठन किया गया था। इस सुधार न्यास का नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके कारण तहसील स्तर के इस नगर में ग्रिड आयरन पद्धति के मार्ग, स्टेडियम, तरणताल आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.08.94 द्वारा न्यास का निरसन कर उसकी समस्त आस्तियां एवं दायित्व नगर पालिका परिषद् नीमच को सौंपा गया। वर्तमान में नीमच नगर पालिका के अन्तर्गत दिनांक 01.08.94 से न्यास का विलय होकर नगर विकास प्रकोष्ठ कार्यरत है। वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश गठन के समय नगर को प्रशासनिक सब डिवीजन बनाया गया एवं वर्ष 1998 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया है। जिसके कारण नीमच अब एक प्रशासनिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है।

1-7 फोकल दृष्टि/कक्षा/विभाग

नीमच विकास योजना-2031 में सभी संबंधित विकास के घटकों में समन्वय समाहित है जो निम्नानुसार है : -

1-7-1 उर्ध्व/कक्षा/विभाग/कक्षा/विभाग/कक्षा

नीमच नगर का विकास बहु-आयामी पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, वाणिज्यिक एवं सेवा केन्द्र, प्रशासनिक केन्द्र आदि को ध्यान में रखकर किया जाना प्रस्तावित है। विकास योजना 2031 में नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार नियोजित किया जाना प्रस्तावित है कि कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे। नगर के विभिन्न कार्यकलापों को नये क्षेत्र में प्रतिस्थापित करना है। सुगम एवं सुविधाजनक यातायात हेतु वृत्तीय मार्ग एवं मुख्य मार्ग आदि प्रस्तावित किये गये हैं।

नगरीय विकास में लचीलापन वांछित दबाव को समाहित एवं संयोजित करने के लिये आवश्यक है। उच्च स्तरीय परस्पर अनुरूपता को बनाये रखने के लिये मिश्रित भूमि उपयोग आवश्यक है।

1-7-2 इनक्यूबेटर/उर्ध्व/कक्षा/विभाग/कक्षा/विभाग/कक्षा

नगर की संरचना, 3 निवेश इकाईयों को स्वतंत्र पदक्रम ढांचे, आबादी क्षेत्र, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड के रूप में होगी। विकास योजना असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों को परिभाषित करेगी। विकास योजना संरचना का आधार निम्नानुसार है :-

1. नगर का आकार, प्रकार एवं माप।
2. नगरीय प्रबंधन में जन यातायात व्यवस्था सुगम एवं मितव्ययी बनाना।
3. दीर्घकालीन आत्मनिर्भर विकास हेतु नगर को सर्वांगीण विकास की सुविधा प्रदान करना।
4. नगर के परिवेश का संरक्षण एवं पोषण।
5. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन करना।
6. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता का प्रोत्साहन।
7. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।

fodkl ifjn' ; ,oaiLrkfor uxjh; v/kkl jpk

2-1 {ks=h; ,oami {ks=h; l nHKZ

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होकर उज्जैन राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय है तथा राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। नगर समुद्र तल से 495.4 मीटर ऊंचाई पर 24 डिग्री – 28' उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री-52' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है।

यह नगर रेल मार्ग से सीधे मन्दसौर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटा, नई दिल्ली आदि देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है। साथ ही सड़क मार्ग (महू-नसीराबाद) से मन्दसौर, रतलाम, धार, महू, इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, नसीराबाद आदि प्रमुख नगरों से सीधा सम्पर्क होने से क्षेत्रीय संदर्भ में काफी महत्व रखता है।

2-2 0; ol kf; d l jpk

नीमच नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या के अनुपात के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि नीमच में विभिन्न व्यवसायों में 35413 व्यक्ति कार्यरत हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 27.54 प्रतिशत है। प्राथमिक क्षेत्र में 10.02 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 23.59 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 66.88 प्रतिशत है।

नगर की आत्मनिर्भरता, नगर में उपलब्ध रोजगार से संलग्न श्रमिकों की संख्या से आंकी जाती है। प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सम्बंध में जानकारी सारणी 2-सा-1 में दी गई है।

uhep %0; ol kf; d l jpk&2011

2-सा-1

vuq Ø:	Js kh@{ks=	Jfedka dh l ;k	dy Jfedka ea l s ifr'kr
1	2	3	4
1.	i kFkfed {ks= (अ) कृषि (ब) कृषि श्रमिक (स) खदान उत्खनन	1683 1513 352	4.75 4.27 1.00
	; ksx	3548	10-02
2.	f}Rrh; d {ks= (अ) गृह उद्योग (ब) उत्पादन	646 5235	1.82 4.27

	(स) निर्माण	2300	6.50
	; kx	8181	23-59
3	Rkrh; d {ks=		
	(अ) वाणिज्य एवं व्यापार	8056	22.75
	(ब) यातायात संग्रहण एवं संचार	4764	13.45
	(स) सेवा	10864	30.68
	; kx	23684	66-88
	egk; kx	35413	100-00

L=kr % भारत की जनगणना-2011

2-3 fuosk {ks=

नीमच निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2365/एफ-1-54/33/73 भोपाल दिनांक 25.09.1973 द्वारा किया गया है।


नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हेक्टेयर है जिनमें नगर पालिका क्षेत्र तथा 14 ग्राम सम्मिलित किये गये। वर्ष-2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,40871 है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों एवं उनकी जनसंख्या का विवरण सारणी 2-सा-2 अनुसार -

uhep %fuosk {ks=


2-सा-2

vuqØ-	xke dk uke	{ks=Qy %gDV\$ j e#	tul ā; k 2011
1	2	3	4
1	डुंगलावदा	208.88	737
2	चंगेरा	376.84	613
3	खड़ावदा	208.49	534
4	लेवड़ा	214.68	850
5	धनेरियाकलां	773.79	2731
6	अरन्याकुमार	359.76	350
7	जागोली	213.54	518
8	जयसिंगपुरा	303.11	1236
9	हिंगोरिया	432.40	849
10	कनावटी	569.78	2903


नीमच 2.1 क्षेत्रीय स्थिति




नगरीय केन्द्र




राज्य मार्ग



अन्य मार्ग




रेल्वे लाईन




जिला सीमा



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन भोपाल (MOPRO)



नीमच 2.2 निवेश क्षेत्र




- निवेश क्षेत्र सीमा
- नगर पालिका सीमा
- ग्राम सीमा
- रेल्वे लाईन



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन भोपाल (म0प्र0)



24_05_2017

11	भोल्यावास	282.06	540
12	रावतखेड़ा	383.47	402
13	जैतपुरा	56.54	33
	1/2 xkeh.k {ks= 1/2 upek d 1 l s 13 1/2	4383-34	12296
	1/2 uxj i kfydk {ks=	2964-00	1]28575
	dy ; ks 1/2 \$c 1/2	7347-34	1]40871

ukv %& नगर पालिका के क्षेत्रफल में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ.सहित) एवं कस्बा नीमच का क्षेत्र सम्मिलित है।

2-3-1 uxj i kfydk

वर्ष 1947 तक नीमच नगर के तीन प्रमुख भागों में से नीमच सिटी एवं बघाना ग्वालियर रियासत के अंग थे तथा छावनी का क्षेत्र अंग्रेज शासन के अधीन था। छावनी के असैनिक क्षेत्र में नगर पालिका के दायित्व का संपादन केन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा किया जाता था। सैनिक शासन समाप्त हो जाने के पश्चात छावनी के लिये सर्व प्रथम सन् 1936 में म्यूनिसीपालिटी एक्ट 1954 के अन्तर्गत एकीकृत नगर पालिका का गठन हुआ। पूर्व में नगर पालिका का क्षेत्रफल 1342.0 हेक्टेयर होकर 36 वार्डों में विभक्त था, तत्पश्चात सन 2004 में 40 वार्डों में विभक्त किया गया है, जो अभी तक यथावत है। सन् 2002 में नगर पालिका के क्षेत्रफल वृद्धि पर 2964.00 क्षेत्रफल हुआ है। नगर पालिका सीमा में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ.सहित) एवं नीमच कस्बा सम्मिलित है।

2-4 tul d ; k ifjor d

किसी भी नगर की जनसंख्या वृद्धि में यहां के आर्थिक कार्यकलापों एवं भौतिक संसाधनों, सेवा-सुविधाओं तथा रोजगार उपलब्धता आदि का विशेष महत्व होता है। नीमच नगर की जनसंख्या वृद्धि की जानकारी सारणी 2-सा-3 में दी गई है।

uhep % tul d ; k of)

2-सा-3

o"kl	tul d ; k	n'kd vlrj i fr'kr
1	2	3
1901	21,588	—
1911	17,307	(-) 19.38
1921	14,463	(-) 16.43
1931	13,846	(-) 4.27
1941	21,618	56.13

1951	28,189	30.40
1961	36,287	28.73
1971	49,748	37.10
1981	68,853	38.40
1991	90,474	31.38
2001	1,12,852	24.73
2011	1,28,575	13.93

2-4 भारत की जनगणना।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 1901, 1911, 1921, 1931 के दशक की कालावधि में जनसंख्या में लगातार कमी हुई है। सम्भवतः अप्रत्याशित कमी नगर के केन्टोन्मेन्ट क्षेत्र के सैनिकों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के कारण हुई है। सन् 1936 में ही नीमच में ग्राम बघाना को सम्मिलित करते हुये म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना होने से सन 1931-1941 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके पश्चात 1951-1991 तक जनसंख्या वृद्धि में कम-ज्यादा अन्तर होता रहा है। सन 2001 एवं 2011 के मध्य जनसंख्या में काफी गिरावट आई है, जिसका कारण समाज में शिक्षा का विस्तार, परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर जनता का आकर्षण रहा।

2-4-1 विकास की कालावधि तक के लिये विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है।

अपितु नगर की भावी जनसंख्या का सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि जिन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है उन कारणों का ठीक तरह से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। नगरीकरण के सम्बंध में प्रवजन की प्रवृत्ती, पूर्व दशकों में जनसंख्या वृद्धि तथा शासकीय नीति आदि ऐसे परिवर्तनशील एवं अनपेक्षित कारण होते हैं, जो नगर की जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं।

नीमच नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ग्राम झांझरवाड़ा एवं धामन्या में उद्योग विभाग द्वारा फुड झोन की स्थापना किये जाने से भी नगर में जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021 की जनसंख्या 1.80 लाख तथा 2031 की जनसंख्या 2.5 लाख आंकलित कर नीमच विकास योजना के प्रस्ताव दिये गये हैं।

2-5 विकास की कालावधि तक के लिये विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है।

नगर विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, किन्तु नगर विकास की नीतियां एवं दिशा निर्धारण हेतु योजना की कालावधि निर्धारित की जाना आवश्यक है, ताकि निश्चित समय सीमा के आधार पर जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं का आंकलन किया जा सके।

इस विकास योजना की कालावधि सन् 2031 तक निर्धारित की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव जैसे- मार्ग, जलप्रदाय आदि विकास

योजना की कालावधि के बाद के विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे। अतः नीमच विकास योजना के प्रस्ताव कालावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

2-6 ; kst uk mnns ; rFkk y{;

नीमच नगर के लिये संतुलित एवं सुनियोजित भावी विकास को दिशा प्रदान करना ही विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आवश्यकतानुसार निर्धारण कर इनका युक्तियुक्त वितरण, इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि नगरवासियों को स्वास्थ्यकर एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके।

नीमच विकास योजना बनाते समय निम्न मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :-

1. भूमि का समुचित उपयोग।
2. नगर में नये व्यवसायिक केन्द्र का प्रावधान कर वर्तमान विकसित क्षेत्र की गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करना।
3. दक्ष एवं सक्षम यातायात संरचना के माध्यम से नगर के तीनों भागों नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करना।
4. प्रशासनिक केन्द्र के रूप में नगर का विकास एवं नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों का प्रावधान।
5. नगरीय एवं अर्न्तनगरीय यातायात हेतु परिभ्रमण संरचना उपलब्ध कराना ताकि नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण किया जा सके।
6. नगर के भावी एवं वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न उपयोगों का निर्धारण कर नगर के प्रस्ताव तैयार करना।
7. नगर के मध्य स्थित नाले के पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण के प्रावधान।
8. मूलभूत सेवा-सुविधाओं का प्रावधान।
9. प्राकृतिक भू-दृश्य एवं पर्यावरण का संरक्षण।
10. गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनर्स्थापना।

2-7 uxj dteq; dk; dyki

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान है। नगर के भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन कर नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है :-

1. क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र
2. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र
3. उच्च स्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र
4. लघु, मध्यम तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र

2-8 ; kst uk vo/kkj .kk

नगर की वर्तमान संरचना रेलवे लाईन, केन्द्रीय आरक्षित बल तथा नगर के मध्य से प्रवाहित होने वाले बड़े नालों के कारण प्रभावित हुई है। नगर का विकास तीन भागों में नीमच सिटी, बघाना तथा छावनी क्षेत्र के रूप में हुआ है। नगर नीमच सिटी की बसाहट पुरानी पद्धति की होने से नगर में खुली भूमि का सर्वथा अभाव है तथा मार्ग भी अत्यंत संकरे है। इस क्षेत्र का सुधार आवश्यक है। इस क्षेत्र में घनत्व कम करने हेतु नये आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। छावनी क्षेत्र में नियोजित विकास हुआ है तथा मार्ग भी पर्याप्त चौड़े हैं किन्तु कुछ वाणिज्यिक केन्द्र में अतिक्रमण के कारण मार्ग की चौड़ाई प्रभावित हुई है। उक्त मार्गों को चौड़ा करने के प्रस्ताव दिये गये है।

नगर में प्रमुख रूप से विकास महु-नसीराबाद राजमार्ग पर हुआ है तथा प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में इसी मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय विकसित होकर भविष्य में भी प्रशासनिक क्षेत्र के प्रस्ताव इसी क्षेत्र के आस-पास दिये गये है।

विकास योजना में जयसिंगपुरा रेलवे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित कर नगर के पश्चिमी भाग का समान्वित विकास तथा नगर के तीन प्रमुख भागों नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना के मध्य युक्तियुक्त सामन्जस्य स्थापित करके नगर को जोड़ने हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना के प्रस्ताव दिये गये है।

नगरीय आबादी का विकास इस तरह से नियोजित किया गया है, कि मुख्य कार्य केन्द्र एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का परस्पर समन्वय विकल्पों सहित बना रहे। नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। ताकि नगर की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। विभिन्न मार्ग श्रृंखलाओं को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें क्षेत्रीय तथा अन्तरराज्यीय यातायात को नगर के मध्य से गुजरने से रोका जा सके। नगर बसाहट को समस्त क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने हेतु मुख्य मार्ग, वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये है।

2-9 i Lrkfor Hkfe mi ; ksx , oa Hk&vko/v/u&2031

नगर के भावी स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि तथा उनकी आवासीय, वाणिज्यिक, अधोसंरचना सेवा-सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन इत्यादि की आवश्यकताओं का आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्ताव दिये गये है।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण के अनुसार नगर में 5.48 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के मान से भूमि नगरीय उपयोग के अन्तर्गत है। विकास योजना में वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2.5 लाख हेतु 10.00 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भूमि नगरीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। इसके आधार पर नगर का सकल घनत्व 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है। वर्तमान में एकल परिवार की प्रवृत्ति को देखते हुए उचित प्रतीत होता है।

uhep % i Lrkfor Hkfe mi ; ksx , oa Hkfe vko/ u 12031½

2-सा-4

vuq -Ø-	Hkfe mi ; ksx	or ÷ku&2012			i Lrkfor&2031		
		{ks=Qy ½gDV\$ j e½	i fr'kr	Hkfe mi ; ksx nj ½gDV\$ j e½	{ks=Qy ½gDV\$ j e½	i fr'kr	Hkfe mi ; ksx nj ½gDV\$ j e½
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	385.00	53.92	2.95	1077	43.08	4.3
2	वाणिज्यिक	62.50	8.75	0.48	210	8.4	0.84
3	औद्योगिक	40.50	5.67	0.31	200	8.0	0.8
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं	110.50	15.48	0.85	275	11.0	1.1
5	आमोद-प्रमोद	27.00	3.78	0.21	290	11.6	1.16
6	यातायात एवं परिवहन	88.50	12.40	0.68	448	17.92	1.8
; ksx		714-00	100-00	5-48	2500	100-0	10-0

L=kr %& नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण।

- Vhi %&** 1. वर्ष 2012 की जनसंख्या (अनुमानित) 1,30,366 एवं 2031 की जनसंख्या 2.5 लाख अनुमानित की गई है।
2. भूमि उपयोग दर एवं भूमि आवंटन दर प्रति हजार जनसंख्या में दिया गया है।

2-9-1 fuosk bdkbkbj tul ÷; k

नीमच निवेश क्षेत्र को 3 निवेश इकाईयों में विभक्त कर नगर विकास के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। वर्तमान घनत्व को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का विभाजन 2-सा-5 में दिया गया है।

uhep %fuosk bdkbzkj %tul d; k , oa {ks=Qy½

2-सा-5

vuqØ-	fuosk bdkbz Øekad	i Lrkfor fodfl r {ks= %gDV\$ j e½	vkokl h; {ks= %gDV\$ j e½	vuqfur tul d; k&2031
1	2	3	4	5
1	निवेश इकाई क्र.- 1	854.0	352.0	81395
2	निवेश इकाई क्र.- 2	1103	525.0	122093
3	निवेश इकाई क्र.- 3	543	200.0	46512
		2500-0	1077-0	2-5 yk[k

2-9-2 fuosk bdkbz ka

तुलनात्मक दृष्टि से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई के मूल सिद्धांत के आधार पर नगर विकास योजना तैयार की गई है। विकास योजना में नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, नगर स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य एवं आमोद-प्रमोद केन्द्र, बस स्टेण्ड तथा रेलवे स्टेशन से इन इकाईयों को समुचित रूप से जोड़ना प्रस्तावित है। प्रत्येक इकाई को आवासीय क्षेत्रों एवं वृत्त खण्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तरीय बाजार एवं अन्य सेवा-सुविधाएं उपलब्ध होगी।

नगर में विद्यमान विभिन्न भूमि उपयोगों एवं प्रस्तावित विकास के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नगर की भौतिक संरचना के अनुरूप एक सुलभ एवं सरल आकार प्रदान कर इसे तीन निवेश इकाईयों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

fuosk bdkbz Øekad &1

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक पूर्व में महु-नसीराबाद मार्ग के समानान्तर ग्वालटोली चौराहा तक पश्चात् म.प्र. विद्युत मण्डल जाने वाले मार्ग से होते हुए निवेश क्षेत्र सीमा तक। दक्षिण में रेलवे लाईन के समानान्तर जयसिंगपुरा क्रॉसिंग तक। पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक। इस निवेश इकाई में केन्द्रीय आरक्षित बल, छावनी क्षेत्र, म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पुलिस लाईन, गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय, वेअर हाउस गोडाउन, नगर पालिका कार्यालय, सिविल लाईन, केन्द्रीय विद्यालय, रेलवे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, छावनी क्षेत्र का वाणिज्यिक केन्द्र आदि सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 3359 हेक्टेयर है। जिनमें 854.0 हेक्टेयर के प्रस्ताव दिये गये हैं तथा 2505 हेक्टेयर भूमि भावी आवश्यकता हेतु शेष है।


fuosk bdkbz Øekad &2

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक दक्षिण में रेलवे के समानान्तर, पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तक, पश्चिम में रेलवे क्रॉसिंग से महु-नसीराबाद मार्ग के समानान्तर तक सीमा स्थित है, इसमें नीमच सिटी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय, बस स्टेण्ड,

नीमच

2.3 वर्तमान भूमि उपयोग

- आवासीय
- वाणिज्यिक
- औधौगिक
- सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
- सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें
- आमोद प्रमोद
- यातायात
- बस स्थानक
- रेल्वे स्टेशन
- रेल्वे लाईन
- मार्ग
- हवाई पट्टी +
- आरक्षित क्षेत्र
- जलाशय
- कृषि भूमि
- निवेश क्षेत्र
- ग्राम सीमा
- नगरपालिका सीमा



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश


सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश मिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन भोपाल (MOPRO)




24_05_2017

नीमच 2.5 निवेश इकाईयां




- निवेश क्षेत्र सीमा 
- निवेश इकाई सीमा 
- नगर पालिका सीमा 
- ग्राम सीमा 



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन भोपाल (M0प्र0)



विश्राम गृह, गुप्ता नर्सिंग होम, इन्दिरा नगर, शासकीय महाविद्यालय आदि सम्मिलित हैं। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2154 हेक्टेयर है, जिनमें 1051.0 हेक्टेयर के प्रस्ताव दिये गये हैं तथा 1103.0 हेक्टेयर क्षेत्र भूमी भावी आवश्यकता हेतु शेष है।

फुओक बडकड Øेकड & 3

इस निवेश इकाई की सीमा मुख्यतः उत्तर पूर्व में रेलवे लाईन तथा दक्षिण एवं पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक। दक्षिण में निवेश क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र तक। इस निवेश इकाई में बघाना बस्ती, रेलवे कॉलोनी, हवाई पट्टी आदि सम्मिलित हैं। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1834.34 हेक्टेयर है। जिनमें 1291.34 हेक्टेयर के प्रस्ताव दिये गये हैं। 543.0 हेक्टेयर क्षेत्र भूमी भावी आवश्यकता हेतु शेष है।

उहेप %फुओक बडकडØेकड i Lrkfor HkÙe mi ; kx

2-सा-6

फुओक बडकड Øेकड	vkokl h;	Øk. kT; d	vS kxd	i koZtfud v)Z i koZ tfud , Øa mi ; kxrk, Øa i Øk, a	vkekn-i Øen	; krk; kr , Øa i fjogu	; kx	dT ^m , Øa tyk ^k ;	फुओक बडकड Øेकड Øy {k=Qy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	352	61.27	135.0	115.0	25.0	167.0	854	2505.0	3359.0
2	525	110.0	45.0	120.0	155.0	148.0	1103	1051.0	2154.0
3	200	38.73	20.0	40.0	110.0	113.0	543	1291.34	1834.34
; kx	1077	210-00	200	275	290	448-00	2500	4847-34	7347-34

2-9-3 vkokl h;

विकास योजना प्रस्ताव में आवासीय उपयोग के लिये भूमि आवंटन करते समय नगरवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सेवा सुविधाओं, पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र का प्रावधान, पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसे जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य आंतरिक आवागमन का प्रावधान, यातायात के साधन एवं सुविधाएं जो कार्यकेन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से संबद्ध हो, की उपलब्धता, आदि का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रयास किया गया है कि आवासीय क्षेत्र से गुजरने वाले सीधे यातायात के दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण इत्यादि से अप्रभावित रहे। वर्तमान में जिन आवासीय क्षेत्रों में नागरिक सेवा सुविधाओं की कमी है उसे दूर कर उन क्षेत्रों को उपयुक्त आवासीय स्तर प्रदान किया जावेगा। अतः वर्तमान एवं भावी जनसंख्या की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 4.3 हेक्टेयर प्रतिहजार जनसंख्या के आधार 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु 1077 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 43.0 प्रतिशत है।

1/2 xnh cLrh , oa > xh > ki Mh {ks=ka dk l qkkj , oa i qLFkki uk

मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की कुछ बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, जिनमें लगभग 3000 झुग्गी-झोपड़ियां हैं। इस गंदी बस्ती क्षेत्र में लगभग 35600 आबादी निवास करती है।

ऐसी गंदी बस्तियों का सुधार एवं पुर्नस्थापना आवश्यक है। ऐसी गंदी बस्तियां एवं झुग्गी झोपड़ियों का आंशिक सुधार कर व्यवस्थापन संभव है, जिसमें आवश्यक सेवा-सुविधाएं प्रदान कर उनका उसी स्थान पर व्यवस्थापन उचित होगा। किन्तु कुछ गंदी बस्तियां यातायात में बाधक, शुद्ध वायु एवं प्रकाश का अभाव, बाढ़ ग्रस्त तथा असंगत की श्रेणी में होने से इन बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल पर रखना उचित नहीं है। ऐसे बस्तियों को विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है:-

1- xnh cLrh @ > xh > ki fM; ka dh i qLFkki uk

निम्नलिखित बस्तियों की पुर्नस्थापना प्रस्तावित है:-

1. जीवाजी छात्रावास के निकट
2. हाट मैदान (अस्पताल के सामने)
3. पुराने नगर पालिका कार्यालय के समीप स्थित गंदी बस्ती
4. विश्रामगृह के पास

2- xnh cLr; ka dk i ; kbj .k l qkkj , oa i q: RFkku

1. रामपुरा दरवाजा हरीजन बस्ती
2. यादव मोहल्ला
3. ग्वाल टोली
4. भगवानपुरा
5. गरीब मोहल्ला, मोची मोहल्ला
6. बोहरा कब्रिस्तान से गरीब मोहल्ला तक
7. यादव मण्डी
8. हरिजन बस्ती रेगर मोहल्ला
9. भोलाराम कम्पाउण्ड

1/2 vkokl bdkbz; ka dh deh

जनगणना 2011 के अनुसार नीमच नगर में 32744 परिवार 25525 मकानों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का औसत आकार 3.93 व्यक्ति आता है, जबकि प्रति आवास निवासित की जनसंख्या 5.03 व्यक्ति है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास आवश्यकता के मान से वर्ष 2011 में 7219 मकानों की कमी आती है। गंदी बस्ती तथा जीर्ण शीर्ण आवासों का 80 प्रतिशत

पुनर्निर्माण को मिलाकर कुल 11661 आवासों की कमी आंकी गई है जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

u hep % vkokl ka dh deh

2-सा-7

vuq Ø-	fooj .k	edkuka dh l ; k	i qLFki uk nj	vkokl bdkbz, ka dh deh
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2011 तक की कमी	—	—	7219
2	गंदी बस्ती आवासों की पुर्नस्थापना	3000	80 प्रतिशत	2400
3	जीर्ण-शीर्ण मकानों की पुर्नस्थापना	2552	80 प्रतिशत	2042
; ksx		&	&	11661

½ vk' ; drk

आवासीय आवश्यकता का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां आदि पर आधारित होता है। वर्ष 2031 में नगर में अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के मान से तथा परिवार का आकार 4.5 व्यक्ति के आधार पर 29851 आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी। उक्त आवश्यकता का अनुमान लगाते समय प्रतिवर्ष एक प्रतिशत मकान जो आवासीय दृष्टि से अनुपयोगी होंगे उनकी प्रतिस्थापना का प्रावधान भी किया गया है। अनुमानित परिवार एवं आवासीय आवश्यकता का विवरण सारणी 2-सा-8 में दिया गया है :-

u hep % vuqfur i fjokj , oa vkokl

2-सा-8

vuq Ø-	fooj .k	vkokl bdkbz, ka dh vk' ; drk		
		2011	2021	2031
1	2	3	4	5
1	जनसंख्या लाखों में	1.28	1.80	2.50
2	अतिरिक्त जनसंख्या लाखों में	—	0.52	0.70
3	औसत परिवार का आकार	3.93	5.00	4.50
4	अतिरिक्त परिवार	—	10400	15556
5	वर्ष 2021 में 85 प्रतिशत एवं 2031 में 90 प्रतिशत की दर से परिवारों हेतु आवास इकाईयों की आवश्यकता	—	8840	14000
6	वर्ष 2011 की कमी सहित आवास इकाईयों की आवश्यकता	+ 11661	19240	29556
7	प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की दर से आवासों का पुर्ननिर्माण	—	192	295
		11661	19432	29851

ukl/ %& + vkokl ka dh deh

¼k½ vk; oxl vuq kj vkokl vko'; drk

वर्ष 2031 में आवास आवश्यकता लगभग 29851 होगी जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। विभिन्न आय वर्ग अनुसार आवास आवश्यकता विवरण सारणी 2-सा-9 में दर्शाई गई है।

uhep %vk; oxl vuq kj vkokl vko'; drk

2-सा-9

vuqØ-	vk; l eeg	ifr'kr	vkokl h; bdkbz, kW
1	2	3	4
1	आर्थिक रूप से कमजोर	40	11940
2	निम्न आय वर्ग	30	8955
3	मध्यम आय वर्ग	25	7463
4	उच्च आय वर्ग	05	1493
		100	29851

¼p½ ulfrxr igy {ks-

- आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत पहल आवश्यक है जो निम्नानुसार है-
1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक संस्थाओं को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिये राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूह एवं हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
 2. नगर स्तर की अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं के विकास के लिये भूमि तथा संसाधनों का राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नीति के तहत निर्धारण।
 3. निजी संस्थाओं एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास में किये जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना।
 4. भूमि के पुनरूपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाये रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
 5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व आच्छादित क्षेत्र सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजक मापदण्ड) जिसमें भूमि विकास एवं रहवासी निर्माण में जलवायु, उर्जा उपयोग में कमी, भूमि की उपयोग दक्षता एवं लागत अनुकूलन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
 6. सामुदायिक संस्थागत प्रयासों द्वारा वर्तमान रहवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना के उन्नयन की नीति।
 7. नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण।

2-9-4 okf.kfT; d {ks-

उपान्तरित विकास योजना 2031 में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु 210.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल क्षेत्र का 10.00 प्रतिशत है। जिसमें 62.50 हेक्टेयर वर्तमान में विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है। वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्यतः छावनी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु घंटाघर एवं उसके आस-पास क्षेत्र को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र पुरानी आबादी (तंग गलियों) में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही है। अतः नये वाणिज्यिक क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु प्रावधानित भूमि की जानकारी सारणी 2-सा-10 में दी गई है।

Ukhep % iLrkfor okf.kfT; d {ks-

2-सा-10

vuq Ø-	fooj.k	fodkl ;kstuk ea iLrkfor LFky	{ks-Qy %gDV\$ j e#z
1	2	3	4
1	शीतगृह एवं भंडारण	निवेश इकाई क्र.-2	10.0
2	मंडिया (क) अनाज मण्डी (ख) किराना बाजार (ग) सब्जी एवं फलमण्डी (घ) घास मण्डी एवं पशु बाजार	निवेश इकाई क्र.-1 निवेश इकाई क्र.-1, 3 निवेश इकाई क्र.-2 निवेश इकाई क्र.-2	45.0 5.00 4.50 5.00
3	विशिष्ट बाजार (क) थोक बाजार (ख) भवन निर्माण सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी बाजार (ग) लकड़ी बाजार	निवेश इकाई क्र.-2 निवेश इकाई क्र.-2 निवेश इकाई क्र.-2	10.00 10.00 15.00
4	यातायात नगर/मेकेनिक नगर	निवेश इकाई क्र.-1,	10.00
5	निवेश इकाई स्तर	निवेश इकाई क्र.-1, 2, 3	10.00
6	वृत्त खण्ड स्तर	वृत्त खण्डों में	13.00
7	उपखण्ड/स्थानीय स्तर	उपखण्डों में	10.00
8	वर्तमान क्षेत्र	सम्पूर्ण नगर	62.50
; ksx	&	&	210-00

उपरोक्त में नगर का वर्तमान बाजार क्षेत्र सम्मिलित है। विकास योजना में इनको नगर स्तरीय बाजार केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है, जिसके लिये विभिन्न निवेश इकाईयों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रस्ताव दिये गये हैं।

1- 'khr'xg , oaHkMkj .k

नगर में वर्तमान भंडारण हेतु सम्पूर्ण नगर में गोडाउन यत्रतत्र फैले हुए हैं। केवल नसीराबाद मार्ग पर वेअर हाउसिंग कारपोरेशन गोडाउन के मुख्य मार्ग पर स्थित है। नगर में शीतगृह की कमी है। जिसकी पूर्ण आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इस कारण हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 में मनासा मार्ग पर 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

2- ef.M; ka

¼d½ vukt e.Mh

वर्तमान कृषि उपज मण्डी स्टेशन रोड पर स्थित है, किन्तु वर्तमान मण्डी हेतु क्षेत्र कम पड रहा है। मण्डी नगर के मध्य स्थित होने से यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः इस के लिये नसीराबाद मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 1 में 45.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

¼k½ fdjkuk e.Mh

वर्तमान में नगर में विभिन्न मार्गों पर किराना मण्डी संचालित है। जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। अतः इस हेतु निवेश क्रमांक 1 एवं 3 में 5.00 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है।

¼x½ l Cth , oaQy e.Mh

वर्तमान में फल एवं सब्जी मण्डी, पशुचिकित्सालय एवं टैगोर मार्ग के पीछे स्थित है। वर्तमान में स्थान की कमी प्रतीत होती है। अतः यहां से थोक सब्जी मण्डी, कृषि उपज मण्डी स्थानांतरित होने से इस परिसर में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। साथ ही बघाना एवं नीमच सिटी में स्थित सब्जी मण्डी को आवश्यकतानुसार इसी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

¼k½ ?kkl e.Mh

वर्तमान में सब्जी मंडी के पीछे, अस्पताल मार्ग पर अव्यवस्थित रूप से घास बाजार लगता है जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः इसे नगर के मध्य से स्थानांतरित कर, निवेश इकाई क्रमांक 2 में प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर, 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

3- fof'k"V cktkj

¼d½ Fkkl cktkj

विकास योजना प्रस्ताव में वर्तमान नगर केन्द्र को ही नगर स्तरीय बाजार के रूप में विकसित एवं व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। अतः थोक बाजार हेतु भविष्य की आवश्यकता के लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

¼k½ Hkou l kexh dksy fMiks , oa dckMh cktkj

वर्तमान में उक्त गतिविधियाँ नसीराबाद मार्ग मनासा मार्ग, तथा विभिन्न आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में संचालित है। अतः इसे संगठित रूप से विकसित करने हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस परिसर के विकसित होने पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गतिविधियां प्रस्तावित स्थल पर स्थानांतरित की जावेगी।

4- ;krk;kr uxj ,oaedfud uxj

नगर में कोई भी संगठित यातायात नगर एवं मेकेनिक नगर नहीं है, किन्तु नगर के मध्य भाग में सम्बन्धित गतिविधियां विभिन्न मार्गों पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हुए माल चढ़ाने एवं उतारने का कार्य किया जा रहा है तथा जगह-जगह मेकेनिकल वर्कशाप कार्यरत है जिससे सड़क किनारे भारी वाहन खड़े होते हैं।

इस प्रकार की गतिविधियों को नगर के बाहर स्थानांतरित किया जाना उचित है। अतः इस हेतु निवेश इकाई क्रमांक-1 पर महु-नसीराबाद मार्ग पर 10 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना 2011 में निवेश इकाई क्रमांक 3 में दक्षिणी वृत्तीय मार्ग तथा महु-नसीराबाद मार्ग के संगम पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र यातायात नगर एवं गोदामों हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसका विकास नहीं हुआ है, उक्त प्रस्ताव भी विकास योजना 2031 में यथावत रखे गये हैं।

5- fuošk bdkbz Lrj cktkj d0nz

विकास योजना में निवेश इकाई क्रमांक 1, 2 एवं 3 में वाणिज्यिक गतिविधी केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। इस हेतु विकास योजना में लगभग 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

6- oRRk[k.M Lrj

आवासीय वृत्त खण्ड को परिपूर्ण स्वसक्षम इकाईयों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक आवासीय वृत्त खण्ड में 15-20 हजार जनसंख्या अनुमानित है। वृत्त खंड के आवश्यकता के अनुरूप दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधाओं की दृष्टि से यह आवासीय वृत्त खण्ड क्षेत्र इकाई के रूप में रहेंगे। विकास योजना में प्रस्तावित वृत्त खण्डों हेतु 13.00 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।

7- mioRr [k.M Lrj

वृत्त खण्डों को विभाजित कर उपवृत्त खण्डों का भी विकास योजना में प्रावधान किया गया है। उपवृत्त खण्ड की जनसंख्या 3-4 हजार के लिये 15-20 स्थानीय दुकानों के मान से 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

2-9-5 vkš kfxd

निमच औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े श्रेणी में आता है। वर्तमान में महु-नसीराबाद मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। इसके अतिरिक्त महु-नसीराबाद मार्ग पर ही, ग्राम कनावटी सिंगोली मार्ग, मनासा मार्ग एवं मन्दसौर मार्ग की ओर क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर क्रमशः सामान्य एवं प्रदूषणकारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन उपज पर आधारित उद्योग, सेवा उद्योग हेतु प्रस्तावित

की गई है। विकास योजना में औद्योगिक उपयोग हेतु 200.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 8 प्रतिशत है।

2-9-6 I koʃtʃud , oa v) I koʃtʃud I ʃo/kk, a , oa I ʃk, a

इस उपयोग के अन्तर्गत नगर में वर्तमान में 110.50 हेक्टेयर क्षेत्र है। विकास योजना में भावी आवश्यकता हेतु कुल 275.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 11.0 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सांस्कृतिक एवं सेवा सुविधाओं का समावेश किया गया है। वर्तमान में संगठित प्रशासनिक क्षेत्र, नसीराबाद मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं अन्य कार्यालय के रूप में कार्यरत है। अधिकांश कार्यालय नसीराबाद मार्ग पर फब्बारा चौक से अम्बेडकर चौराहा के मध्य स्थित है। अन्य निजी भवनों में कार्यरत कार्यालयों को भी संगठित रूप से स्थापित करने हेतु विभिन्न निवेश इकाई में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार शैक्षणिक उपयोग एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु निवेश इकाई स्तर पर प्रावधान किये गये हैं।

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाओं के अन्तर्गत कब्रिस्तान, शमशानघाट, विद्युत उप केन्द्र जलवितरण केन्द्र, जलशुद्धीकरण संयंत्र, इत्यादि आते हैं, जिनके स्थल का चयन, स्थल स्थिति एवं आवश्यकता अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन से परामर्श कर किया जावेगा।

2-9-7 vkekn&i ekn

इस उपयोग के अन्तर्गत विकास योजना में कुल 290.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 10 प्रतिशत है। इस उपयोग अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान, नगर उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम, मेला मैदान, पिकनिक स्थल एवं अन्य आमोद-प्रमोद गतिविधियां आती हैं। तालाब एवं नालों किनारे वृक्षारोपण कर, सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव भी दिये हैं। नगर में छावनी क्षेत्र में तरणताल तथा स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है उनमें सुधार किया जाना प्रस्तावित है। नगर में बगीचे एवं खुली भूमि, छावनी क्षेत्र में उपलब्ध है। खुली भूमि में बगीचे, उद्यान आदि का विकास किया जा सकता है।

2-9-8 ; krk; kr , oa i fjogu

इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 448.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है जो प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 18.0 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत मार्ग, मुख्य मार्ग, वृत्तीय मार्ग यातायात अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल, बस सीनक रेलवे स्टेशन तथा परिवहन संबंधी सेवा-सुविधाओं का समावेश होता है। वर्तमान बस स्टेण्ड निजी एवं राज्य परिवहन के बस स्टेण्ड पास-पास में हैं। किन्तु उनका विकास उचित ढंग से न होने के कारण समस्याग्रस्त है। उनका उचित प्रकार से विकास कर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। भावी आवश्यकता हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर ईट भट्टों के स्थान पर नये बस स्टेण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। जहां से चित्तौड़गढ़, जावद, मनासा, सिंगोली मार्ग की ओर जाने वाले सभी बसे नगर के बाहर से जा सकेगी।

2-10 vl xr , oa vdk; Źke Hkfe mi ; ksx

नगर में कुछ भूमि उपयोगों/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी आस-पास की गतिविधियों से असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोगों के रूप में चयन किया जाकर अन्यत्र सीमांतरण हेतु चयन किया गया है। इसी तरह कुछ भूमि उपयोग/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भावी विकास, विकास एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संचालित न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अन्तर्गत चयन किया गया है। इन उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है। असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जबकि अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है। अकार्यक्षम भूमि उपयोग हेतु स्थान पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी। असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों की जानकारी सारणी 2-सा-11 में दी गई है।

uhp % vl xr , oa vdk; Źke Hkfe dh i qLFk ki uk , oafjDr Hkfe dk mi ; ksx

2-सा-11

vuq Ø-	Hkfe mi ; ksx	oržku LFky	i Lrkfor LFky	fjDr Hkfe dk i Lrkfor Hkfe mi ; ksx
1	2	3	4	5
	vl xr Hkfe mi ; ksx			
1	vkokl h;			
	(अ) पुलिस लाईन	महू-नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्र.1	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
	(ब) झुग्गी झोपड़ी	हाट मैदान नगर पालिका कार्यालय के पास जीवाजी छात्रावास डाक बंगले के पास	निवेश इकाई क्र.1 ग्वालटोली के पीछे	स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक आवासीय शैक्षणिक आवासीय
2	okf .kfT ; d			
	(अ) आटो पार्ट्स वर्कशाप एवं मेकेनिक दुकाने	महू-नसीराबाद मार्ग पर (प्रायवेट बस स्टेण्ड से मन्दसौर की ओर)	निवेश इकाई क्र. 2 में ट्रान्सपोर्ट नगर के पास	सामान्य वाणिज्यिक
	(ब) आरामशीनें	नीमच सिटी रोड ग्वाल टोली	निवेश इकाई क्र.2 निवेश इकाई क्र.2	सामान्य वाणिज्यिक आवासीय
	(स) थोक बाजार (किराना एवं अनाज)	घंटाघर के पास तिलक मार्ग पर	निवेश इकाई क्र.1 प्रस्तावित मण्डी	सामान्य वाणिज्यिक

	(द) कबाड़ी बाजार	टैगोर मार्ग एवं बोहरा बाजार मार्ग	निवेश इकाई क्र.2	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
	(उ) मैकेनिक दुकाने	शासकीय चिकित्सालय	निवेश इकाई क्र.2	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
	(ई) घास बाजार	अस्पताल मार्ग पर	निवेश इकाई क्र.2	आवासीय
3.	vksj kfxd			
	(अ) बर्फ फेक्ट्री	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्र.1 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय
	(ब) दाल एवं तेल मिलें	बघाना, नीमच सिटी, छावनी	निवेश इकाई क्र.1	आवासीय
	(स) चर्म शोधन केन्द्र	जाजू सराय एवं योजना क्र. 9	निवेश इकाई क्र.1	आवासीय
	(द) प्लास्टिक उद्योग	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्र.1	आवासीय
	(इ) ईट भट्टे	ग्वालटोली के सामने नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्र.1 ग्राम डुंगलावदा	बस स्टेण्ड
	vdk; kke Hkfe mi ; ksx			
	(अ) कृषि उपज मण्डी	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्र.1 चंगेरा, डुंगलावदा	सब्जी मण्डी थोक एवं फूल मण्डी
	(ब) बस स्टेण्ड	नीमच सिटी मार्ग एवं नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्र.1	पिकअप स्टेशन

2-11 xke fodkl

नीमच निवेश क्षेत्र में स्थित किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरी विस्तार क्षेत्र में शामिल नहीं है, उनका विस्तार, वर्तमान आबादी के आस-पास 200 मीटर परिधि में सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक/स्वास्थ्य-मय सार्वजनिक/सुविधाओं सहित तथा अत्यावश्यक कार्यों के साथ किया जा सकेगा तथा इनका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा।

i Lrkfor ; krk; kr l jpkuk , oa uxjh; v/ksl jpkuk

3-1 i Lrkfor ; krk; kr l jpkuk

नगर के मध्य से महू-नसीराबाद मार्ग गुजरने के कारण नगर दो भागों में विभाजित हुआ है। पूर्व की ओर नीमच सिटी एवं पश्चिम में छावनी क्षेत्र नगर का महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। महू-नसीराबाद मार्ग (अम्बेडकर चौराहा के पास) पर मनासा मार्ग मिलता है, जिससे “व्ही” आकार का मार्ग संगम बनता है। इस क्षेत्रीय मार्ग से सिंगोली, रतनगढ़, भातखेड़ा, मोरवन, कोटा आदि नगरों के लिये यात्री यातायात गुजरता है। रेलवे लाईन के कारण भी नगर दो भागों में विभक्त हुआ है। बघाना क्षेत्र तथा छावनी क्षेत्र है। रेल मार्ग के कारण छावनी तथा नीमच सिटी से बघाना क्षेत्र हेतु सरल एवं सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। इस हेतु रेलवे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किये गये हैं।

महू-नसीराबाद सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से प्रदेश एवं देश के विभिन्न नगरों से सीधा जुड़ा हुआ है। मन्दसौर, जावरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, खण्डवा, भोपाल तथा राजस्थान के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर तथा नई दिल्ली के लिये सीधा संपर्क होने से यात्री तथा माल यातायात के परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सुगम यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्ग तथा बघाना, नीमच सिटी तथा कुछ छावनी क्षेत्र के अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है। अतः नगर के संकीर्ण मार्गों को चौड़ा करना प्रस्तावित है। नीमच नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है।

- 0 छावनी, नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र को आपस में जोड़ने हेतु उचित मार्ग संरचना।
- 0 दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- 0 मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु वर्तमान मार्गों का चौड़ीकरण।
- 0 गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के मध्य सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्गों का प्रावधान।
- 0 मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान।
- 0 समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार।
- 0 मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को प्रतिबंधित करना। यदि मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं तो ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्गों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान।

3-2 ; krk; kr dh orëku fLFkr

नगर के मध्य से महू-नसीराबाद मार्ग पर अत्यंत भारी यातायात होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस मार्ग पर मुख्य रूप से डाकबंगला (मनासा मार्ग) ग्वालटोली चौराहा पर, अम्बेडकर मार्ग (अम्बेडकर चौराहा) पर, टैगोर मार्ग (फब्बारा चौक) पर, नीमच सिटी मार्ग बस स्टेण्ड चौराहा पर मिलने के कारण इस मार्ग पर यातायात का काफी घनत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त

क्षेत्रीय यातायात भी इसी मार्ग से गुजरता है। अतः यातायात का भार कम करने हेतु परिवर्तित मार्ग, वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं। छावनी क्षेत्र के अन्य मार्ग विकास पथ, जवाहर नगर मार्ग, अम्बेडकर मार्ग, टैगोर मार्ग, वीरपार्क मार्ग, केन्द्रीय विद्यालय मार्ग की पर्याप्त चौड़ाई होने से इस क्षेत्र में यातायात की विशेष समस्या नहीं है।

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। नगर में मोटर सायकल, स्कूटर, टेम्पो, कार ऑटोरिक्षा, सायकल आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों को मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

3-3 iLrkfor ;krk;kr izkkyh

कार्यनुरूप मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से संबंध का ध्यान रखा गया है। नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है।

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. बायपास मार्ग
4. मुख्य मार्ग
5. खण्डस्तरीय मार्ग
6. उपखण्डस्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग


वर्तमान में नीमच-नसीराबाद, नीमच-मंदसौर, नीमच-मनासा, नीमच-सिंगौली, नीमच-चीताखेड़ा, नीमच-छोटी सादड़ी आदि क्षेत्रीय मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण भारी यातायात को नगर से बाहर परिवर्तित करने हेतु विकास योजना 2011 में वृत्तीय मार्ग, दक्षिण-पूर्वी वृत्तीय मार्ग 45 मीटर तथा पश्चिमी वृत्तीय मार्ग 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किये गये थे तथा 7 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे किन्तु इनका विकास नहीं हुआ जो पुनः विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किये गये हैं। विकास योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय प्रस्तावित यातायात संरचना का ध्यान रखा गया है। नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्य स्थलों को जोड़ने हेतु वृत्तीय मार्ग, बायपास मार्ग तथा 14 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

1- {ks=h; ekxl

नगर के मध्य से कुल 5 क्षेत्रीय मार्ग गुजरते हैं। नसीराबाद, मन्दसौर, मनासा, सिंगौली, चीताखेड़ा, छोटीसादड़ी आदि हैं। यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का दबाव अधिक रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वृत्तीय मार्ग, बायपास मार्ग, प्रस्तावित किये गये हैं। जिनकी चौड़ाई यातायात दबाव के अनुसार प्रस्तावित की गई हैं। जिसका विवरण मार्ग चौड़ाई के सारणी में दर्शाया गया है।

नीमच


3.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना



	वर्तमान	प्रस्तावित
मार्ग		
बस स्थानक		
रेल्वे लाईन		
रेल्वे स्टेशन		
पुल/ओव्हर ब्रिज		
यातायात नगर		
हवाई पट्टी		

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन भोपाल (MOPRO)



24_05_2017

2- oRrh; ekxZ

क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ने एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले यातायात के दबाव को कम करने हेतु वृत्तीय मार्ग विकास योजना 2011 में प्रस्तावित किये गये थे। जिसकी चौड़ाई 45 एवं 60 मीटर प्रस्तावित थी उसे विकास योजना 2031 में यथावत रखा गया है।

3- ck; ikl ekxZ

नसीराबाद की ओर से आने वाले भारी यातायात को नगर के बाहर से गुजारने हेतु नसीराबाद जावद मार्ग संगम के पास से नीमच निवेश क्षेत्र से आंशिक रूप से ग्राम डुंगलावदा, जेतपुरा आदि होते हुए ग्राम भाटखेडा के पास महु मार्ग पर मिलता है। जिसका उपयोग वृत्तीय मार्ग के रूप में हो रहा है। इस कारण विकास योजना में अतिरिक्त वृत्तीय मार्ग के प्रस्ताव नहीं दिये हैं।

4- eŃ; uxjh; ekxZ

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह की वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों से जोड़ते हैं। संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 30 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 2011 में कुल 7 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को पुनः प्रस्तावित करते हुए विकास योजना 2031 में मुख्य मार्गों का समावेश करते हुए 14 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 30 मीटर प्रस्तावित है।

5- [k.MLrjh; ekxZ

खण्डस्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को बहन करने हेतु किया जाता है। इन मार्गों की चौड़ाई 18 से 24 मीटर प्रस्तावित है। इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत नगर बस सेवा प्रारम्भ की जा सकती है। इन मार्गों के किनारे ही जलप्रदाय विद्युत प्रदाय एवं जलमल निकासी से सम्बंधित व्यवस्था की जा सकेगी।

6- mi [k.M Lrjh; ekxZ

इस प्रकार के मार्ग प्राथमिक रूप से प्रत्येक आवासीय खण्डों में स्थानीय यातायात की आवश्यकता हेतु तथा एक मुख्य मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12 से 18 मीटर प्रस्तावित है।

7- LFkkuh; ekxZ

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है। इनके संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्र में इन मार्गों की चौड़ाई 7.50 न्यूनतम होगी।

3-4 iæŃk uxjh; ekxZ dh pŃMkbZ

विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग, वृत्तीय मार्ग, मुख्य मार्ग खण्डस्तरीय मार्ग, क्षेत्रीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 3-सा-1 में दी गई है।

uhev % i edf k ekxk dh i Lrkfor pkmkbz

3-सा-1

वृद्ध-	ekxZ dk uke	i Lrkfor ekxZ pkmkbz %ehVj e½
1	2	3
1.	{ks=h; ekxZ ¼½ uhev & ul hjkckn ekxZ - नगरीय विस्तार में - नगरीय विस्तार के बाहर	30.0 60.0
	¼½ uhev & Nk½h I knMh ekxZ - स्टेशन से जिनिंग फेक्ट्री तक - नगरीय विस्तार क्षेत्र से बाहर	12.0 30.0
	¼ ½ uhev & eukl k ekxZ - डॉ अम्बेडकर चौराहे से सिंगोली मार्ग संगम तक - सिंगोली मार्ग संगम से आगे	30.0 45.0
	¼n½ uhev & fl aksyh ekxZ	45.0
	¼b½ uhev & phrk[kMk ekxZ	45.0
2.	ORrh; ekxZ ¼½ nf{k.k & if'pe oRrh; ekxZ ¼½ if'peh oRrh; ekxZ	45.0 45-60.0
3	edf; uxjh; ekxZ मुख्य मार्ग क्रमांक - 1 मुख्य मार्ग क्रमांक - 2 मुख्य मार्ग क्रमांक - 3 मुख्य मार्ग क्रमांक - 4 मुख्य मार्ग क्रमांक - 5 मुख्य मार्ग क्रमांक - 6 मुख्य मार्ग क्रमांक - 7 मुख्य मार्ग क्रमांक - 8 मुख्य मार्ग क्रमांक - 9 मुख्य मार्ग क्रमांक - 10 मुख्य मार्ग क्रमांक - 11 मुख्य मार्ग क्रमांक - 12 मुख्य मार्ग क्रमांक - 13 मुख्य मार्ग क्रमांक - 14	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 24.0 30.0 30.0 24.0 18.0 18.0
4	oRr [k.MLrjh; ekxZ	24.0
5	miORr [k.MLrjh; ekxZ	18.0
7.	LFkkuh; ekxZ	9 - 12

uk½ %&जिन क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखा जावेगा।

uhev %oržeku uxjh; ekxkdh iLrkfor pkmkbz

3-सा-2

v uq Ø-	ekxk dh uke	oržeku pkmkbz ½ehVj e½	iLrkfor pkmkbz ½ehVj e½
1	2	3	4
	½/½ Nkouh {ks-		
1	सी.आर.पी.एफ. मार्ग (लायन्स पार्क चौराहे से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक)	35-40	40.0
2	डॉ. अम्बेडकर मार्ग	25-30	30.0
3	विकास पथ	24-35	24.0
4	भाग्येश्वर महादेव मंदिर मार्ग (सिंधी कॉलोनी से सी.आर.पी.एफ. सीमा तक)	18-20	18.0
5	रेलवे स्टेशन मार्ग (रेलवे स्टेशन से ओपियम फेक्ट्री तक)	20-24	24.0
6	सेन्ट्रल स्कूल मार्ग / मेहता स्टेडियम मार्ग (किलेश्वर रोड से स्टेडियम चौराहे तक)	15-18	18.0
7	किलेश्वर मार्ग (स्टेशन से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक)	20-24	30.0
8	टेगौर मार्ग	25-35	36.0
9	नगर पालिका मार्ग (गोल चौराहे से सेल्सटेक्स कार्यालय जंक्शन)	14-24	18.0
10	तिलक मार्ग (बस स्टेण्ड चौराहे से ज्ञान मंदिर तक)	9-13	12.0
11	स्टेट बैंक मार्ग (ओपियम फेक्ट्री से विजय टॉकीज चौराहे तक)	20-35	30.0
12	आशोक मार्ग / मूलचन्द मार्ग (प्रायवेट बस स्टेण्ड चौराहे से ओपियम फेक्ट्री तक)	18-24	24.0
13	शम्भू व्यायामशाला मार्ग (शंकर आईल मिल चौराहे से जाजू सराय तक)	18-24	24.0
14	छात्रावास मार्ग (कॉन्वेंट स्कूल तक जोड़ मार्ग)	12-18	18.0
15	वीर पार्क मार्ग से डॉ अम्बेडकर मार्ग तक	24-30	30.0

16	छात्रावास मार्ग (कमल चौक से अम्बेडकर मार्ग जंक्शन तक)	18-24	24.0
17	वीर पार्क मार्ग	12-20	18.0
18	पुस्तक बाजार मार्ग	10-12	12.0
19	दानाओली मार्ग	8-10	12.0
20	घंटाघर मार्ग	8-10	12.0
21	पिंजारा मार्ग	10-12	12.0
	1/2 c?kuk {ks=		
1	नीमच सिटी मार्ग (बस स्टेण्ड से सुन्दरम् टॉकीज के पुल तक)	12-20	18.0
2	विक्रम मार्ग (पुल से नीमच सिटी चौराहे तक)	7-9	9.0
3	वल्लभभाई पटेल मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से पुरानी तहसील तक)	7-8	9.0
4	कस्तूरबा मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा रामपुरा दरवाजे तक)	9-12	12.0
5	डॉ काटजू मार्ग / महाविद्यालय मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा नाके तक)	12-18	18.0
6	भगवानपुरा मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से भगवानपुरा बस्ती तक)	9-12	12.0
7	यादव मंडी मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा मार्ग तक)	9-12	12.0
8	कालीदास मार्ग (पुरानी तहसील चौराहे से रामपुरा दरवाजे तक)	6-9	9.0
9	प्रताप मार्ग	7-9	9.0
10	गोपालकृष्ण मार्ग	8-9	9.0
11	डॉ किदवई मार्ग	6-9	9.0
12	आजाद मार्ग (पुल से रावत विश्रामगृह तक नाले के समानान्तर)	8-9	9.0
13	रावत श्रमिक मार्ग	7-9	9.0
14	माधवगंज मार्ग	6-9	9.0
	1/4 1/2 c?kuk {ks=		

1	सुभाष मार्ग (अ)पुलिस थाना से व्यास बाल मंदिर तक (ब) रेलवे अंडरपास से छोटी सादड़ी नाके तक	6-7.5 9-12 7-9	9.0 12.0 12.0
2	बालाजी मार्ग	9-12	12.0
3	व्यास बाल मंदिर मार्ग	7-9	9.0
4	विवेकानन्द मार्ग	7-9	9.0
5	महात्मा गांधी मार्ग	7-9	9.0
6	धनेरियाकलां मार्ग (जगधारी जिनिंग फेक्ट्री से बघाना ग्राम सीमा तक)	7-9	9.0

जिस स्थल पर वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी।

3-4-1

नगर के विभिन्न मार्ग संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा मध्य क्षेत्र के बाहर कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जो निम्नानुसार है।

1. जावद नाका चौक
2. मन्दसौर पुराना नाका चौक
3. फब्बारा चौक
4. नगर पालिका चौराहा
5. जीवाजी छात्रावास
6. मनासा रोड चौराहा
7. भगवानपुरा चौराहा
8. डाक बंगला तिराहा (मनासा रोड)
9. पेट्रोल पम्प तिराहा (मनासा नीमच सिटी रोड)
10. सिंगोली तिराहा (मनासा रोड)
11. ग्वालटोली चौराहा
12. प्रायवेट बस स्टेण्ड चौराहा (महू रोड)
13. कमल चौराहा

3-4-2

वर्तमान म.प्र. राज्य परिवहन का बस स्टेण्ड, नीमच सिटी मार्ग पर तथा निजी बस स्टेण्ड महू-नसीराबाद मार्ग पर स्थित है। राज्य परिवहन के बस स्टेण्ड हेतु अत्यंत कम भूमि उपलब्ध है। किन्तु निजी बस स्टेण्ड पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के पश्चात भी किन्तु उनका विकास नियोजित रूप से नहीं हुआ है, साथ ही यह बस स्टेण्ड नगर के मध्य भाग में होने से इस क्षेत्र बस यातायात

के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है। अतः भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर 3.00 हेक्टेयर भूमि बस स्थानक हेतु प्रस्तावित की गई है। बस स्थानक विकसित होने पर चित्तोड़गढ़, जावद, मनासा, सिंगोली जानेवाला यात्री यातायात इस बस स्टेण्ड से जा सकेगा।

3-4-3 fi dvi LV\$ku

मुख्य नगर से दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की सुविधा के लिये निम्न स्थलों पर पिकअप स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं।

1. राज्य परिवहन बस स्टेण्ड
2. निजी बस स्टेण्ड
3. रेलवे स्टेशन
4. ग्वालटोली चौराहा
5. कलेक्टर कार्यालय
6. फब्बारा चौक
7. कमल चौक
8. अम्बेडकर मार्ग
9. भगवानपुरा चौराहा
10. लायन्सपार्क चौराहा

3-4-4 vol ku d0nz

नगर में निम्नलिखित अवसान केन्द्र प्रस्तावित है :-

1. प्रस्तावित बस स्टेण्ड
2. रेलवे स्टेशन
3. कृषि उपज मण्डी
4. कलेक्टर कार्यालय
5. औद्योगिक क्षेत्र
6. वेअर हाउसिंग गोडाऊन
7. यातायात नगर
8. नीमच सिटी के क्षेत्र
9. बघाना क्षेत्र

3-4-5 okgu fojke LFky

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

1. वर्तमान बस स्टेण्ड
2. रेलवे स्टेशन
3. नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र

4. स्टेडियम क्षेत्र
5. लायन्स पार्क चौराहा
6. अशोक मार्ग एव ईदगाह मार्ग संगम (नदी किनारे)
7. डॉ अम्बेडकर चौराहा
8. ग्वाल टोली चौराहा

3-4-6 gokbz i VVh@foekury

लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम जेसिंगपुरा एवं नीमच कस्बा की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से लगकर लगभग 115 हेक्टेयर भूमि विमानतल हेतु अधिग्रहित की गई है, तथा उक्त क्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण भी किया गया है। उक्त हवाई पट्टी पर सी.आर.पी.एफ. के अन्य छोटे विमान उतरते हैं। उक्त क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना एवं विमानतल हेतु समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा 85.0 हेक्टेयर भूमि विमान तल के विस्तार हेतु आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार कुल 200 हेक्टेयर भूमि विमानतल हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

3-5 uxjh; v/kk jpk

3-5-1 tyink;

नगर की भावी जनसंख्या के मान से 30 गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु 7.5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 1.5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति 2-3 दिन छोड़कर की जा रही वह अत्यंत कम है। वर्तमान में जाजू डेम की क्षमता में वृद्धि करने हेतु नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

3-5-2 tyey fudkl

छावनी क्षेत्र में तत्कालीन नगर सुधारन्यास की योजना एवं नई कॉलोनियों में जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था है। शेष पुराने नगर में नीमच सिटी, बघाना सिटी में जलमल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र हेतु जलमल निकास व्यवस्था प्रस्तावित है, इसके लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में नगर के पूर्वी ओर मुख्य नाले के किनारे आक्सीडेशन पौंड प्रस्तावित किया गया है। भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक जल निकासी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

3-5-3 Bkl vof'k"V iczku

वर्तमान में ग्राम बरूखेड़ा के पास ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित है, जो उपयुक्त है। किन्तु भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से इनका विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है। ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्रोत घरेलू व्यवसायिक, अस्पताल/नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी मार्केट औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। औसतन विभिन्न स्रोतों से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड

के लिये नगरीय टोस अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से किया जावेगा जो कि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनुज्ञेय होगा।

3-5-4 fo|r

वर्तमान में नगर में म.प्र. राज्य विद्युत ग्रिड तथा गांधी सागर डेम पर स्थित चम्बल हायडल पावर प्लान्ट से विद्युत प्रदाय हो रही है। नगर में कुल 6 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है।

1. बरुखेड़ा मार्ग 2. मनासा रोड 3- विकास पथ 4.किला रोड 5. बघाना क्षेत्र 6. नीमच सिटी आदि है। इन विद्युत केन्द्रों द्वारा सम्पूर्ण नगर में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। किन्तु कभी-कभी विद्युत प्रदाय के निरन्तरता में अवरोध उत्पन्न होता जिससे विद्युत दबाव की कमी होती है। भविष्य में विद्युत प्रदाय व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः विद्युत विभाग के सहमति से उपयुक्त स्थल पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी।

3-5-5 'k{kf.kd

नगर में शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु भविष्य की आवश्यकता हेतु इसमें वृद्धि की जाना आवश्यक है। नगर में वर्तमान में नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालय 30, उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालय 45 तथा महाविद्यालय 3 हैं। किन्तु तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटैकनिक महाविद्यालय की कमी है जिसके लिये अन्य नगरों से सुविधा प्राप्त की जा रही है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि के प्रस्ताव दिये गये हैं।

3-5-6 l pkj

नगर में वर्तमान भूतेश्वर मंदिर के पास दूरभाष केन्द्र विद्यमान है जो पर्याप्त है क्योंकि वर्तमान में सेलफोन (मोबाइल) का उपयोग अधिक होने से लेण्ड लाईन दूरभाषों में काफी कमी आयी है। अतः वर्तमान दूरभाष केन्द्र पर्याप्त है।

3-5-7 Mkdrkj

नगर में मुख्य डाकघर 1 तथा उप डाकघर 6 हैं। वर्तमान में मोबाईल फोन के अधिक उपयोग के कारण डाकतार सेवाओं में कमी आयी है। अतः वर्तमान डाकघर पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

3-5-8 l j {kk

वर्तमान में तीन पुलिस थाने हैं। एक पुलिस थाना टैगोर मार्ग तथा दूसरा बघाना क्षेत्र एवं तीसरा नीमच सिटी में स्थित है। साथ ही 3 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्याय - 4 में उल्लेखित मानकों के अनुसार होगा।

3-5-9 vfxu'keu

अग्निशमन सेवा आग लगने, दुर्घटनाओं आदि आपात परिस्थितियों में नगर के आवश्यकता की पूर्ति करती है। नगर में वर्तमान में 2 अग्निशमन केन्द्र हैं। एक नगर पालिका तथा अल्कोलाईट फेक्ट्री के पास है। जो नगरीय आबादी के मान से पर्याप्त नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य नगरों से सेवाएं प्राप्त की जाती है। अतः भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

3-5-10 /kch?kV

नगर में वर्तमान में कोई संगठित धोबीघाट नहीं है, किन्तु दो धोबीघाट विकास नगर एवं एक शंकर आईल के पास स्थित है। जिसका धोबीघाट के रूप में उपयोग हो रहा है। उनका विस्तार किया जाना आवश्यक है।

3-5-11 'e'kku ?kV , oadfcLrku

नगर में वर्तमान में श्मशान घाट 4 एवं कब्रिस्तान 6 उपलब्ध हैं। भावी आवश्यकता हेतु प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के बाहर उपयुक्त स्थल का चयन जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जा सकेगा।

3-5-12 rjy iVsfy; e xI ¼ y-ih-th½

नगर में वर्तमान में 3 गैस वितरण संस्थाएं कार्यरत है, जिसके गोडाउन नगरीय क्षेत्र के आस-पास होने से दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं रहती है। इस कारण नगर के वर्तमान आबादी क्षेत्रों से बाहर गैस गोदामों को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। भावी आवश्यकतानुसार अध्याय 4 में दिये गये नियमों के अनुरूप एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण आवश्यक होगा। कृषि उपयोग परिक्षेत्र में एल.पी.जी. गोदाम की स्थापना अनुज्ञेय होगी।

3-5-13 Hk&ty vko/kU

नगर में जल संकट अधिक होने के कारण पुराने एवं नये जल स्रोतों का संवर्धन आवश्यक है। कुओं, हेण्डपम्पों एवं नलकूपों में वर्षा जल को एकत्रित कर भू -जल पुर्नभरण (रूफ वाटर हार्वेस्टिंग) एक प्रभावी तकनीक है। इसमें भू जल भण्डार में वृद्धि होगी, साथ ही रिचार्ज पिट (गड्ढा) ट्रेच रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में भी किया गया है। इनका पालन प्रत्येक विकासकर्ता/निर्माणकर्ता को करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों का निर्माण तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

3-5-14 /kfeD , oal kLdfrd

नगर का स्वरूप निर्धारित करने के लिये सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन आवश्यक है।

U fdys'oj egknD efnj

किलेश्वर महादेव मंदिर नगर का अत्यंत सुन्दर मंदिर है, जो धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। शिवरात्री के पर्व पर यहां एक सप्ताह के लिये मेले का आयोजन होता है, जिसमें नगर तथा आस-पास के हजारों दर्शनार्थी यहां आते हैं। मेले की व्यवस्था एवं प्रबंध नगर पालिका नीमच द्वारा किया जाता है। नगर के मध्य भूतेश्वर महादेव मंदिर, सांवरियाजी का मंदिर (नीमच सिटी), सी.आर. पी.एफ. क्षेत्र में चर्च, गुरुद्वारा, किला तथा प्राचीन इमारतों के निर्माण हुए हैं। जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। जिनका संरक्षण उत्थान तथा विकास विशेषज्ञों से परामर्श कर किया जाना उचित होगा।

4-1 idr'khyrk

इन नियमों का उद्देश्य नीमच नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

4-2 {ks=kf/kdkj

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन,राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमॉक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह सम्भावना है, कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यात्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गए हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आन्तरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाए गए हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ तालाबों के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:3000 की माप पर हो के आधार पर नापा जाये।
7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो

सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र की विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है। परिक्षेत्रिक योजना नगर पालिका नीमच द्वारा तैयार की जावेगी।

8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमाएं स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अर्न्तगत अथवा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अर्न्तगत भू व्यवस्थापन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैद्य है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास पर विचार कर सकता है।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30 (क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।

4-3 i f j H k k " k k , a

mi ; ks i f j { ks = &

मुख्य भू-उपयोग से सम्बंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्य कलापों में से किसी एक कार्य कलाप का क्षेत्र।

mi ; ks i f j l j &

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

v f H k U ; k l &

अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूप रेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

H k l i e mi ; ks e k u f p = &

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।

i f j { k f = d ; k s t u k &

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अर्न्तगत बनाई गई हो।

uxjh; xte & भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएंगे।

uxjh; fojkl r & नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित हो।

cg&bdkbz Hk[k.Mh; fodkl & नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किए जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधित की जावें। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं उनके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधित होना चाहिये।

vu; i fjHkk'kk, - म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होगी।

4-4 Hk[ie mi ; ksx i fj{ks-

निवेश क्षेत्र को 9 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियां शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

uhep %mi ; ksx i fj{ks-

4-सा-1

अनु. क्रमांक	उपयोग परिक्षेत्र	उपयोग श्रेणियां
1	2	3
1.	आवासीय	वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय।
2.	वाणिज्यिक	नगरीय केन्द्र, निवेश ईकाई केन्द्र, सामान्य वाणिज्यिक, (व्यापार सेवा संस्थान के साथ) थोक विक्रय, मण्डी, शीतगृह एवं भण्डारण, यातायात नगर/मैकेनिक नगर।
3.	औद्योगिक	उद्योग; उद्योग के समतल समूहों सहित।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	वर्तमान सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां। सामाजिक अधोसंरचना
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएं	वर्तमान सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाएं भौतिक अधोसंरचना।

6.	आमोद-प्रमोद	उद्यान/ खेल मैदान, स्टेडियम, मैदान, मेला वनस्पति उद्यान/ वृक्षारोपण।
7.	यातायात एवं परिवहन	स्टेशन, रेल्वे लाईन/ बस स्टेण्ड/ बस डिपो, समस्त मार्ग, हवाई अड्डा।
8.	कृषि	कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कंडिका 2.11 के अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु)
9.	जल स्रोत	तालाब/ झीलें, नाले एवं नहरें, नदियां

4-4-1 vkokl h; mi ; ksx i fj {ks=ka grq fu; eu

4-4-1½/½ mi ; ksx i fj {ks= dk mi ; ksx i fj l jka eami & folkk t u

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे-भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका उप-नियमों के अनुरूप होंगे।
- भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिए।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।
- एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे- जल प्रदाय, मल निकास, पार्किंग सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएं वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा। तथा उसके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधित होना चाहिये।
- वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार ईकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात् बहुईकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग/अनौपचारिक वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण किया जाना आवश्यक प्रावधाना करना होगा।
- अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

4-5 vkokl h; Hk[k.Mh; fodkl dcfu; eu

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर
2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
4. सुविधाजनक दुकानें अधिकतम 5 प्रतिशत
5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक अधिनियम 1956, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

uhp vkokl h; Hk[k.M fodkl fu; eu

4-सा-2

dckd	भूखण्ड का आकार मीटर में	क्षेत्रफल (वर्गमीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम. ओ. एस मीटर में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	अधिकतम ऊँचाई मीटर में	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयाँ
						VXZ	i'ol	vtw	ckt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0×8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0×12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0×15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0×15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0×15.0	106-135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.20	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10×18.0	136-200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.20	3.0	2.0	0.0	0.0	9.0	12	3
7	12.0×18.0	201-216	अर्द्ध पृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0×24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0×24.0	288-360	पृथक्कृत	35	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0×27.0	361-405	पृथक्कृत	33	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7

4-7 I eng vkokl grqfu; kstu eki n.M &

- (1) इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर होगा।
- (2) भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर
- (3) न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज = 35 प्रतिशत
- (4) भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज = 24 मीटर
- (5) अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु 1 : 1.40
- (6) एम.ओ.एस. सामने 7.5 मीटर
अन्य ओर 6.00 मीटर
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (8) पार्किंग : एफ.ए.आर. स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) भवन ब्लाक के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित सबसे ऊँचे भवन की उंचाई के 1/3 बराबर होगी।
- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिए एफ.ए.आर.एवं अन्य मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे।

4-8 12-5 ehVj I s Åpshkouka I tdkh fu; eu

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

4-9 okf.kfT; d {ks=

4-9-1 okf.kfT; d {ks=ka ea fodkl grqfu; eu &

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेंगी:—

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, निवेश इकाई केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

4-9-2 okf.ft; d fodkl grqfu; eu &

वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन सारणी 4-सा-3 के अनुसार होंगे।

uhep okf.kfT; d mi ; ks i fj {ks= dč vfHkU; kl grqfu; eu

सारणी क्रमांक 4-सा-3

Ø-	okf.kfT; d dUnz dk Lrj	vlo'; d U; wire Hkfe dk {ks=Oy ½gs ea ½	I feq[k eixZ dh U; wire pHkHbz ½eh eñz	U; wire [koyk {ks= ½fr'kr eñz	i kfdk {ks= ½fr'kr eñz	bQleý I DVJ ½fr'kr eñz	eixZ, oami; kfxrk, oa I dk; s ½fr'kr ea	vf/kdre Lohdk; ½ HkH; [k.Mh; {ks=Oy ½fr'kr eñz	Hk[k.M dk U; wire vXkHkx eñVj ea
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगरीय केन्द्र, थोक वाणिज्यिक (मंडी)	10 से अधिक	30	10	7.5	2.5	35	45	30.00
2	उप नगरीय केन्द्र, सामान्य (0.15 से 0.5 लाख आबादी हेतु)	2 से अधिक	24	10	7.5	2.5	35	45	25.00
3	निवेश इकाई केन्द्र (सामूदायिक केन्द्र) (0.08 से 0.15 लाख आबादी तक)	1 से अधिक	18	10	7.5	2.5	35	45	20.00
4	स्थानीय शॉपिंग * (अभिन्यास स्तर पर)	0.5 से अधिक	12	10	7.5	2.5	35	—	15.00
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	0.11 से अधिक	9	10	7.5	2.5	35	—	10

Vhi % *स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होंगी।

4-9-3 mi foHkft r okf.kfT; d Hk[k.Mka grqfu; eu %

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भूखण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्नलिखित सारणी 4-सा-4 में दर्शाए अनुसार मान्य होगा :-

uhev mi foHkkft r okf.kfT; d Hkk[k.Mka grq fu; eu

सारणी क्रमांक-4-सा-4

Øekd	Jskh	vf/kdre fufetr {ks= %dojst ½	, Q-, -vkj
1	2	3	4
1	नगरीय केन्द्र थोक वाणिज्यिक (मंडी)	50 प्रतिशत	2.50
2	उप नगर केन्द्र सामान्य	50 प्रतिशत	2.50
3	निवेश इकाई केन्द्र (सामुदायिक केन्द्र)	50 प्रतिशत	2.00
4	स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.50
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.25

4-9-4 LFkkuh; nplkua %&

1. औषधि की दुकानें
2. कार्यालय
3. पैथेल्सॉजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक)/मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र
11. रेस्टोरेन्ट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय फ्लैट कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत अधिकतम

4-9-5 I fo/kktud nplkua ea Lohdk; Z nplkua

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन एवं मशीनरी मरम्मत की दुकानें
3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें

8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

4-10 $\nu\{k\} k\{x\} d\ i\ f\{j\} \{k\} \&$

- (1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आंतरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15.0 मीटर होगी।
- (2) औद्योगिक परिक्षेत्रों में अभिन्यासों एवं औद्योगिक भूखण्डों के विकास के मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार मान्य होंगे।

4-11 $\nu U; I \{o\}/k, a$

अभिन्यास में सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

4-12 ; krk; kr uxj @ e\{f\} ud uxj d\{e\} ki d

नीमच में यातायात/मैकेनिक नगर के मानक निम्नानुसार होंगे।

अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत 40 प्रतिशत

आंतरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर

सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं 0.5 प्रतिशत न्यूनतम

पार्किंग 15 प्रतिशत न्यूनतम

उद्यान 10 प्रतिशत न्यूनतम

नीमच में यातायात नगर/मैकेनिक नगर में सुविधाओं के मानक सारणी क्रमांक 4-सा-5 अनुसार मान्य होंगे।

uhep ; krk; kr @ e\{f\} ud uxj d\{e\} kud

सारणी क्रमांक 4-सा-5

$\nu u\{q\} \{o\} e\{k\} d$	$d\{k\}; I\ d\{k\} i\ d\{k\} j$	$b\{z\} d\{k\} b\{z\}; k\{a\} i\ f\{r\} 100 \nu\{d\}$	$\nu u\{d\} k\{f\} i\ r \{k\} \{o\} y\ d\{h\} I\ h\{e\} k\ i\ f\{r\} b\{z\} d\{k\} b\{z\} o\{x\} z\{h\} \nu\{j\}$
1	2	3	4
1	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2	कलपूर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशॉप	15-25	7.5-135
4	टायर टयुब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5	ढाबा	5-7	30-90
6	चाय नाश्ता दुकान	8-19	9-14
7	पान सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8	नाई/सिलाई दुकान	1	10-15

4-12 $\frac{1}{2} \nu U; I \{o\}/k, \&$ प्रति 100 ट्रक के लिये विभिन्न सेवाओं के प्रावधान सारणी क्रमांक 4-सा-6 के अनुरूप होंगे।

uhep ; krk; kr uxj ea l fo/kvka dē eki n.M

4-सा-6

vuq Øekad	l fo/kk	{ka-Qy ifr bdkbz %oxzhVj½	fVli .kh
1	2	3	4
1	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3	पेट्रोल पम्प	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4	होटल, लॉज	600	ऊपर मंजिल पर
5	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6	उपचार गृह	200	-
7	अग्निशमन केन्द्र	200	-
8	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

Vhi %& 1 ifjHke.k r=A

अभिन्यास के मार्ग 18.0 मीटर चौड़े

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 9 से 12 मीटर चौड़े

खुले क्षेत्रों के ओर के मार्ग 12 से 18 मीटर चौड़े

2. पार्किंग एवं खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है, जो खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

4-13 mi ; ksx ifj {ks= dē fodkl fu; eu%&

4-13-1 mi ; ksx ifj {ks= ea Lohdk; l mi ; ksx

विकास योजना में उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग श्रेणियों में निम्नानुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अनुमत होंगे।

uhep %mi ; ksx ifj {ks=ka ea mi ; ksx ifj l jka dh vuēfr

4-सा-7

vuq Ø-	mi ; ksx Jf.k; ka	Lohd'r mi ; ksx ifj l j
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/ फ्लैट्स, अतिथि गृह/ रेस्टहाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय,

		विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर।
2.	वाणिज्यिक	एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, गेस्ट हाउस/रेस्टहाउस, रात्रि विश्राम गृह/धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/कम्युनिटी हाल/मेरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लीनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल] होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बैंक/ए.टी.एम, रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मॉल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्टहाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फ्लेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील,

		डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र,पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4.	सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/रेस्टहाउस, बाल गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलोटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान,विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र।
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/अपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	क्षेत्रीय उद्यान, नगरीय उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम, तरणताल, मेला मैदान, प्रदर्शनी स्थल, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण्य।
8.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "dfk" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रस्तान,

	<p>जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे, दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाऊस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियां, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पेरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (V-मानसिक विकलांगता C-शारीरिक विकलांगता), स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध-शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट), ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियन उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मेरिज गार्डन, कृषि आधारित पर्यटन, कोल्ड स्टोरेज, उद्योग (सफेद उद्योग) आई.टी.।</p>
--	--

4-13-2 मि ; ks ifj {k-k@ ifj l jka dcfu; kst u eki n.M , oa vU; fu; a.k %&

सारणी क्रमांक 4-सा-7 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-8 एवं 4-सा-9 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

नीमच : उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी क्रमांक 4-सा-8

अनु. क.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेश प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
शैक्षणिक गतिविधिया											
1.	वेकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मीटर
2.	विश्व विद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	30.00	—	—	—	—	—	—	—	फ्रण्टेज = 100 मीटर
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्ट एम. ओ.एस केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्ट एम. ओ.एस केवल फ्रण्ट साईड में
	स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	—	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्ट एम. ओ.एस केवल

											फ्रण्ट साईड में
	द-पार्क एवं लेण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	—	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	&	एम.ओ.एस. छोडकर निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मीटर
4.	चिकित्सा / इन्जीनियरिंग महाविद्यालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मीटर
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मीटर
6.	पॉलिटेक्निक	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मीटर
7.	माध्यमिक / सेकेन्ड्री विद्यालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मीटर
8.	प्राथमिक विद्यालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मीटर
9	नर्सरी स्कूल	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर

10	प्ले स्कूल	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मीटर
12	विकलांग बच्चों के विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=100	फ्रण्टेज = 30 मीटर
13	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मीटर
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मीटर
15	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 40 मीटर
16	संगीत/नृत्य/ नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मीटर
17	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मीटर
18	कोचिंग सेन्टर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
19	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
20	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
21	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मीटर

22	नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थान	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मीटर
23	होटल मैनेजमेन्ट संस्थान	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर
24	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मीटर
25	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मीटर
26	आई.टी.आई	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मीटर
27	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
28	ड्रायविंग स्कूल	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मीटर
29	प्रयोगशाला	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मीटर
स्वास्थ्य गतिविधियां											
30	सामान्य चिकित्सालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर
31	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर
32.	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर

33	प्रसूति गृह	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
34	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
35	नर्सिंग होम	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मीटर
36	पॉलिक्लिनिक	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मीटर
37	क्लीनिक प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
38	पैथोलॉजी लैब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 15 मीटर
40	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मीटर
41.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मीटर
42	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
43	रेडक्रास केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मीटर
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
45.	एक्सरे/ रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर

रहवासी गतिविधियां											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
47	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
48	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मीटर
49	झूलाघर/डेकेयर सेन्टर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
50	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
51	वृद्धाश्रम	0.25	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मीटर
52	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
53	लॉजिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
54	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
55.	होस्टल	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मीटर
56	बोर्डिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मीटर
57	रेस्ट हाऊस / अतिथि गृह	0.40	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मीटर

58	रात्रि विश्राम गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	--	फ्रण्टेज = 20 मीटर
59.	सर्किट हाऊस	0.75	30	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मीटर
60.	भूखण्डीय विकास	2.00	7.50	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार (2) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत (3) सेवा क्षेत्र = 15 प्रतिशत
61	ग्रूप हाउसिंग	0.40	15.00	35	1:1.50	12.50	9.00	7.50	7.50	A=100	फ्रण्टेज = 24 मीटर
62	आपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.75	12.00	33	1:1.40	12.50	7.50	4.50	4.50	A=100	(1) फ्रण्टेज = 21 मीटर (2) ऐसे भूखण्ड भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये
63	स्वयं का आवास	0.05	9.00	30	1:1.25	12.50	6.00	3.00	3.75	A=100	(1) फ्रण्टेज =12 मीटर (2) 500 वर्ग मीटर

											से छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहाँ भूखण्डीय विकास या ग्रुप हाऊसिंग या अपार्टमेन्ट हाऊसिंग मान्य करना संभव न हो
वाणिज्यिक गतिविधियां											
64.	शॉपिंग माल	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार
65	मल्टीप्लेक्स	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.25	18.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 30 मीटर
67.	केफेटेरिया	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर

68.	कन्वेशन सेन्टर	2.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=20	फ्रण्टेज = 100 मीटर
69.	सुविधजनक दुकानें	—	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	(1) फ्रण्टेज = 20 मीटर (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3 प्रतिशत के बराबर
70.	स्थानीय दुकानें	—	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50 %	(1) फ्रण्टेज = 30 मीटर (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर
71	साप्ताहिक हाट बाजार	0.30	12.00	35	1:1.25	4.50	9.00	4.50	4.50	A=25	फ्रण्टेज = 40 मीटर
72	व्यवसायिक कार्पोरेट कार्यालय	0.20	18.00	35	1:1.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
73	सिनेमा हॉल	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 30 मीटर

74	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
75	मोटल	0.75	24.00	25	1:0.75	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	(1) राष्ट्रीय राज मार्गो / समस्त क्षेत्रीय मार्गो / बाय-पास मार्गो पर (2) फ्रण्टेज= 40 मीटर
76.	रेस्टोरेन्ट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 18 मीटर
77.	ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार	A=50	—							
78.	व्यवसाय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 15 मीटर
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.15	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
80.	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील प्रदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर

81	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	24.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	(1)फ्रण्टेज = 35 मीटर (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20 मीटर स्थान खुला रखना होगा।
82.	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	0.60	18.00	30	1:0.75	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मीटर
84	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
85.	ए.टी.एम.	—	12.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00 मीटर X 3.00 मीटर का निर्माण एम.ओ.एस. स्पेस को छोड़कर निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा।

86	मैरिज हॉल	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार								
87	बारात घर	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार								
88	कल्याण मंडपम	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार								
89	मांगलिक भवन	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मीटर								
90	मेरिज गार्डन	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 40 मीटर								
91	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग ऐजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	1.00	24.00	25	1:0.50	12.50	15.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 100 मीटर
92.	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.20	18.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर

93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
94	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	2.00	30.00	30	1:1.00	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	फ्रण्टेज = 60 मीटर
95	गैस गोडाउन	—	12.00	30	1:1.00	12.50	—	—	—	A=50	(1) फ्रण्टेज = 25 मीटर (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 15 मीटर स्थान खुला रखना होगा।
96	अनाज मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मीटर
97	सब्जी/फल मण्डी	0.60	30.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 45 मीटर
98	लोहा मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मीटर
99	भवन सामग्री यार्ड	1.50	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मीटर
100	सी.एन.जी. केन्द्र	0.15	30.00	15	1:0.15	6.00	12.00	10.00	10.00	A=15	फ्रण्टेज = 35 मीटर
101	सर्विस स्टेशन	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर

102	ब्यूटी पार्लर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मीटर
103	तौल कांटा	0.15	24.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मीटर
104	थोक मार्केट	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मीटर
105	दवाई मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
106	स्टेशनरी मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
107	ऑटोमोबाईल मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
108	फायर वर्क्स मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
109	सर्राफा मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
110	क्राकरी मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
111	कपडा मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.50	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
112	बर्तन बाजार	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
113	मरम्मत बाजार	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
114	टिम्बर मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर

115	केमिकल बाजार	0.40	30.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
116	ई-चौपाल	0.25	18.00	30	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
117	कम्प्युटर सेन्टर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
118	इन्फारमल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
119	बैंक्वेट हॉल	0.50	24.00	35	1:1.15	12.50	24.00	10.00	10.00	A=20	फ्रण्टेज = 50 मीटर
120	एफ.एम.सी.जी गोडाउन	0.50	30.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
121	वेयर हाउस	0.50	30.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
122	कोल यार्ड	0.50	30.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
123	मीट मार्केट	0.40	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
124	सायवर केफे	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
125	ढाबा	0.03	30.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मीटर
126	रेल/एयर टिकिट घर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर

सांस्कृतिक गतिविधियां											
127	खुल रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.15	12.50	15.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मीटर
128	योग केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
129	अध्यात्मिक केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
130	सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र	0.15	15.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
131	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
132	लायब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
133	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
134	कांग्रेस हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	1.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
135	नाट्य गृह	0.40	24.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=40	फ्रण्टेज = 30 मीटर
136	कम्यूनिटी हॉल	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मीटर								
137	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर

138	क्रेंच / झुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
139	आर्ट / गैलरी संग्रहालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मीटर
खेल / मनोरंजन गतिविधियां											
140	खेल का मैदान / नबरहुड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकता —नुसार	खेल / पार्क की आवश्यकता —नुसार	—	—	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मीटर
141	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधिकरण के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के सन्दर्भ में फ्रण्टेज = 75 मीटर
142	एम्यूजमेन्ट पार्क / मय राईड्स कियोस्क संधारण कार्यालय डांस फ्लोर सहित या बिना इस सुविधाओं के	4.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के सन्दर्भ में फ्रण्टेज = 75 मीटर
143	क्लब / रिसोर्ट	0.40	15.00	20	1:0.30	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मीटर
144	घुडसवारी प्रशिक्षण स्कूल	4.00	18.00	20	1:0.25	12.50	10.00	10.00	6.00	A=25	भारतीय खेल प्राधिकरण की

											निर्धारित शर्तों अनुरूप। फ्रेण्टेज = 100 मीटर
145	जिम्नेशियन मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	15.00	30	1:0.00	12.50	12.00	7.50	10.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
146	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधिकरण के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में बोट क्लब का निर्माण जल तट से लगकर आवश्यकता नुसार किया जा सकेगा फ्रेण्टेज = 75 मीटर
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 40 मीटर
148	स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	24.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 75 मीटर

149	स्पोर्टस काम्पलेक्स	खेल की आवश्यकता नुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
150	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
151	तरणताल	0.40	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
152	पिकनिक हट	0.25	12.00	15	1:0.25	7.50	12.00	9.00	9.00	A=20	फ्रेण्टेज = 30 मीटर
153	फ्लाइंग क्लब	0.40	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
154	फिटनेस क्लब	0.25	15.00	35	1:1.25	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
155	मेला मैदान	आवश्यकता नुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
156	नर्सरी	0.10	9.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	A=15	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
157	पक्षी अभ्यारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर
158	बनस्पति उद्यान	2.00	24.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज= 75 मीटर
159	प्राणि उद्यान	2.00	24.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज= 75 मीटर
160	मत्स्यालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर

161	केम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर
162	वाटर पार्क मय राईड्स कियोस्क संधारण कार्यालय डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता नुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संबंध में। फ्रेण्टेज= 75 मीटर
163	रिसार्ट/पर्यटक/कुटिर	1.00	24.00	20	1:0.25	9.00	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज= 75 मीटर
शासकीय गतिविधियां											
164	शासकीय/ अर्द्ध शासकीय कार्यालय /उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर स्टाफ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत
165	न्यायालय	आवश्यकता नुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर
166	जैल	आवश्यकता नुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता नुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रेण्टेज= 60 मीटर

168	पुलिस स्टेशन	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
169	पुलिस पोस्ट	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
170	बैंक	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	A=40	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं											
171	शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय/उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यक- तानुसार	9.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
172	पोस्ट आफिस	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
173	दूरसंचार टॉवर/स्टेशन	आवश्यक- तानुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यक- तानुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 40 मीटर
175	कम्बार्इन्ड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	आवश्यक- तानुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 40 मीटर
176	बेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यक- तानुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रेण्टेज= 40 मीटर
177	दूरसंचार केन्द्र	0.15	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता नुसार	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
178	ट्रांसमिशन टॉवर/ वायरलेस स्टेशन	आवश्यक- तानुसार	12.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	A=50	फ्रेण्टेज= 30 मीटर

179	रेडिया स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
180	वैधशाला	आवश्यक- तानुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
181	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यक- तानुसार	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
183	मौसम कार्यालय	आवश्यक- तानुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यक- तानुसार	12.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	आवश्यकता नुसार
185	श्मशान/कब्रस्तान/ सिमिट्री	आवश्यक- तानुसार	12.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यकत नुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता नुसार
186	दूरसंचार टॉवर	आवश्यक- तानुसार	12.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता नुसार
187	गौशाला	0.25	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यक- तानुसार	24.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
189	दूरभाषा केन्द्र	आवश्यक- तानुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 25 मीटर
190	विन्ड मिल्स/फार्म	आवश्यक- तानुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यक- तानुसार	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
191	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	5.00	3.00	3.00	--	फ्रेण्टेज= 9 मीटर

192	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यक- तानुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रेण्टेज= 30 मीटर
193	ओव्हर हेड पानी की टंकी	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
194	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	9.00	6.00	6.00	--	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
195	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
196	सेप्टिक टैंक	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	9.00	4.50	4.50	--	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
198	धूरा एवं कचरा घर	आवश्यक- तानुसार	12.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	फ्रेण्टेज = 18 मीटर
199	धोबी घाट	आवश्यक- तानुसार	9.00	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	आवश्यक- तानुसार	12.00	9.00	9.00	--	फ्रेण्टेज = 18 मीटर
200	औद्योगिक सुविधाएं एग्री स्तर उद्योग	0.20	15.00	40	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.00 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रेण्टेज = 25 मीटर
201	डेयरी प्लान्ट	0.75	18.00	35	1:1.00	12.50	15.00	6.00	6.00	A=20	(1) भूखण्ड

											के चारों ओर 3.00 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रेण्टेज = 30 मीटर
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	A=50							
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	15.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर
204	डेरी प्लांट	0.40	18.00	35	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=50	फ्रेण्टेज = 40 मीटर
205	स्लाटर हाउस	0.20	15.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 30 मीटर
206	फ्लेटेड फैक्ट्री	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	A=50							
207	एक्सटेंसिव/ विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग	---	12.00	---	---	---	---	---	---	---	खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	A=50	फ्रेण्टेज = 25 मीटर

209	फुड पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
210	सॉफ्टवेयर पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
211	दुग्ध केन्द्र	0.50	18.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
यातायात सुविधाएं											
212	बस स्टेण्ड	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज = 100 मीटर
213	बस टर्मिनल	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज = 100 मीटर
214	पिकअप स्टेशन	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज = 50 मीटर
215	बस स्टॉप	आवश्यक— तानुसार	12.00	आवश्यक— तानुसार	आवश्यक— तानुसार	आवश्यक— तानुसार	—	—	—	आवश्यक— तानुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर बायी लेन में
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज= 100 मीटर
217	मैकेनिक नगर	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज= 75 मीटर
218	ऑटो स्टेण्ड / टैक्सी स्टेण्ड	0.25	15.00	15	1:0.30	7.50	15.00	9.00	9.00	पार्किंग एक कार प्रति 15. 00 वर्ग मीटर उपलब्ध भूमि की दर से	फ्रेण्टेज= 75 मीटर

219	मल्टी लेवल पार्किंग	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	18.00	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	A=50	फ्रेण्टेज = 75 मीटर					
220	बस डिपो / कर्मशाला	1.50	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज = 100 मीटर
221	कार्गो	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रेण्टेज = 100 मीटर
222	पार्किंग	आवश्यक-तानुसार	12.00	—	—	—	6.00	6.00	6.00	--	फ्रेण्टेज = 18 मीटर
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
224	ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग ऐजेंसी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
225	एयर पोर्ट / विमान तल	आवश्यक-तानुसार	30.00	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	A=15	फ्रेण्टेज = 150 मीटर
226	मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन	आवश्यक-तानुसार	30.00	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	आवश्यक-तानुसार	A=15	फ्रेण्टेज = 75 मीटर
227	धर्मकांटा / वेविंग ब्रिज	0.15	24.00	15	1:0.25	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रेण्टेज = 30 मीटर
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां											
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 24 मीटर

229	फॉर्म हाउस	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	A=50	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार							
230	डेयरी	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
232	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
233	ग्रामीण केन्द्र	0.20	9.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
234	अनाज गोदाम	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
235	भवन सामग्री बोर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 24 मीटर
236	मैरिज गार्डन	मध्यप्रदेश भू.वि.नि. अनुसार	मध्यप्रदेश भू.वि.नियम अनुसार								
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
238	कृषक परामर्श/ सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
239	आंगनवाडी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज= 18 मीटर
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रेण्टेज = 18 मीटर

241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज= 18 मीटर
242	चौपाल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	--	फ्रण्टेज = 24 मीटर
243	उत्सव स्थल	0.40	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=25	फ्रण्टेज= 24 मीटर

* 12.50 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे।
“मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार” से आशय है “मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से”

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी,उपरोक्त सारणी क्रमांक 4-सा-8 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य गतिविधियों की अनुमति परिशिष्ट में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

4-13-3 mi ; ks ifj l jka dcfu; kstu eki n.M , oa vU; fu; æ.k %

सारणी क्रमांक 4-सा-8 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियां सारण क्रमांक 4-सा-9 अनुसार मान्य होगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है, कि यह सहायक गतिविधियां उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होंगी वही उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएं उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सके तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हो। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है, कि इन गतिविधियों से उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास / निर्माण / संचालन / संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके।

**ed; mi ; ks ifj l j ea l pkyr dh tk l dus okyh xrfof/k; ka , oa mudk ifr'kr
uhep mi ; ks ifj l jka dcfu; kstu eki n.M , oa vU; fu; æ.k**

4-सा-9

vuq Øekd	ed; mi ; ks ifj l j	ed; mi ; ks ifj l j ea l pkyr dh tk l dus okyh xrfof/k; ka , oa mudk ifr'kr		fjekdZ
		xrfof/k; ka	fuekZk ; kK; {ks= dk ifr'kr	
1	2	3	4	5
001	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	वोकेशनल प्रशिक्षण	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल	अधिकतम 05	
002	विश्वविद्यालय	शैक्षणिक एवं रिसर्च	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर एवं सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
003	शैक्षणिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	

		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
004	अ-इन्जीनियरिंग महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	ब- चिकित्सा महाविद्यालय	शैक्षणिक / चिकित्सालय	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी,वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
005	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
006	पॉलीटेक्निक	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
007	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
008	प्राथमिक विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम	80
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
009	नर्सरी स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		केण्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		कवर्ड प्ले ऐरियां	न्यूनतम	20
010	प्ले स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम	20
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		मनोरंजन सुविधाएं	अधिकतम	05
		केण्टीन, स्टेशनरी	अधिकतम	05
		कवर्ड प्ले ऐरियां	न्यूनतम	60
011	समन्वित आवास विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05

		होस्टल	अधिकतम	10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
012	विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम	55	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		फिजियो थेरेपी	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम	05	
		कवर्ड प्ले ऐरिया	न्यूनतम	05	
13	यवसायिक प्रबंधन संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधाएं	अधिकतम	05	
014	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधाएं	न्यूनतम	05	

015	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधाएं	न्यूनतम	05	
016	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम	70	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
017	कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	शैक्षणिक	न्यूनतम	70	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
018	कोचिंग सेन्टर	शैक्षणिक	न्यूनतम	80	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	10	
019	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	'Kf.kd	न्यूनतम	80	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	

		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
020	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
021	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
022	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
023	होटल मैनेजमेन्ट संस्थान	होटल मैनेजमेन्ट प्रशिक्षण	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
024	अनुसंधान एवं विकास क्रेन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	

		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधाएं	न्यूनतम	05	
025	अन्य शैक्षणिक सुविधाएं	शैक्षणिक	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05	
026	आई.टी.आई.	शैक्षणिक	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय	अधिकतम	05	
		केन्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		होस्टल	अधिकतम	15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05	
027	किंडर गार्डन स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम	65	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	
		केन्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		कवर्ड प्ले ऐरिया	न्यूनतम	20	
028	ड्राइविंग स्कूल	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम	55	
		प्रशासकीय	अधिकतम	10	
		केन्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम	05	

		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
029	प्रयोगशाला	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
LokLF; xfrfof/k; ka				
030	सामान्य चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम.दवाई की दुकान,बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
031	fof'k'V@l qj Li f'k; fyVh fpfdRI ky;	fpfdRI k	U; wre 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन,फोटोकॉपी,ए.टी.एम.दवाई दुकान, बैंक, पोस्ट आफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
032	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

		केन्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
033	प्रसूति गृह	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
034	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केन्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
035	नर्सिंग होम	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
036	पॉलिक्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
037	क्लिनिकल प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, एक्सरे, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन, ए. टी. एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
038	पैथोलॉजी लेब	प्रयोगशाला, एक्सरे,	अधिकतम 90	
		केन्टीन, दवाई दुकान एवं बेटिंग	अधिकतम 10	
039	पालतू पशु क्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	

		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		दवाई की दुकान, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
		वार्ड	न्यूनतम 15
040	पालतू पशु औषधालय	चिकित्सा	न्यूनतम 75
		प्रशासकीय	अधिकतम 15
		दवाई की दुकान, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
041	डायग्नोस्टिक सेन्टर	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05
		केन्टीन, ए.टी.एम. दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
		वार्ड	न्यूनतम 15
042	ब्लड बैंक	ब्लड बैंक	न्यूनतम 85
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		केन्टीन, ए.टी.एम. दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
043	रेड क्रॉस केन्द्र	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय	अधिकतम 10
		केन्टीन, ए.टी.एम. दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
		वार्ड	न्यूनतम 10
044	फिजियोथेरेपी केन्द्र	फिजियोथेरेपी चिकित्सा प्रयोगशाला, एक्सरे आदि	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय,	अधिकतम 10
		केन्टीन, ए.टी.एम. दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10
		वार्ड	न्यूनतम 10

045	एक्सरे/रेडियोलॉजी	एक्सरे रेडियोलॉजी, प्रयोगशाला	न्यूनतम	80
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		केन्टीन, ए.टी.एम. दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम	10
jgokl h xfrfof/k; ka				
046	कामकाजी महिला छात्रावास	छात्रावास	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		ए.टी.एम.दवाई की दुकान,फोटो कॉपी,स्टेशनरी,लांड्री,जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	10
		मनोरंजन लायब्रेरी	न्यूनतम	10
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
047	बाल गृह	छात्रावास	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन लायब्रेरी जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
048	बाल सुधार गृह	छात्रावास	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन लायब्रेरी जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
049	झुला घर/डे-केयर सेन्टर	छात्रावास	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग, किचन, केन्टीन, स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05

050	अनाथालय	छात्रावास	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन लायब्रेरी जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
051	वृद्धाश्रम	निवास-कक्ष	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
052	धर्मशाला	शयनकक्ष	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
053	लॉजिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम	80
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	10
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
054	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
055	होस्टल	छात्रावास	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल	अधिकतम	05

		स्टोर जैसी सुविधाएं		
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
056	बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
057	रेस्ट हाउस/अतिथि गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
058	रात्रि विश्राम गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय वेटिंग	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर, केन्टीन जैसी सुविधाएं	अधिकतम	15
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम	05
059	सर्किट हाउस	शयनकक्ष	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		लांड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम	05
		डाईनिंग,किचन,केन्टीन,स्टोर	न्यूनतम	10
		बेटिंग	न्यूनतम	10
		मीटिंग कक्ष	न्यूनतम	10
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
060	भूखण्डीय विकास	आवासीय भूखण्ड	अधिकतम	58
		मार्ग	अधिकतम	28
		खुला क्षेत्र	न्यूनतम	10

		सर्विस क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं	जनसंख्या के मान से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 02	
061	ग्रुप हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 20	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक,सामुदायिक, सांस्कृतिक	जनसंख्या के मान से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 03	
062	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 15	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 05	
063	आवासीय भूखण्ड	आवासीय	न्यूनतम 75	
		व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसल-टेन्सी सेवाएं	अधिकतम 25	
064	शॉपिंग मॉल	शॉपिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कॉर्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
065	मल्टीप्लेक्स	शॉपिंग	न्यूनतम 30	
		होटल	अधिकतम 10	
		सिनेमा	न्यूनतम 25	
		प्ले झोन/गेमिंग झोन	अधिकतम 15	

		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		फूड झोन	न्यूनतम	10
		कॉर्पोरेट ऑफिस, स्टोर/ प्रशासकीय	अधिकतम	05
066	सुपर मार्केट/ डिपार्टमेन्ट स्टोर	शॉपिंग मॉल	न्यूनतम	60
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		होटल	न्यूनतम	15
		कॉर्पोरेट आफिस	अधिकतम	15
067	केफेटेरिया	केफेटेरिया	न्यूनतम	70
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		शॉपिंग	न्यूनतम	15
		प्ले झोन	न्यूनतम	05
068	कन्वेंशन सेन्टर	कॉन्फ्रेंस ऐरिया	न्यूनतम	22
		मीडिया ऐरिया	न्यूनतम	05
		होटल	न्यूनतम	20
		शॉपिंग मॉल	न्यूनतम	15
		सिनेमा	न्यूनतम	05
		प्ले झोन	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	01
		फूड झोन	न्यूनतम	05
		प्रदर्शनी झोन	न्यूनतम	08
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम	10
		क्लब/स्वीमिंग पूल	न्यूनतम	02
		सर्विस ऐरिया	न्यूनतम	02
069	सुविधाजनक दुकानें	शॉपिंग	न्यूनतम	85
		प्रसाधन सुविधा	न्यूनतम	05
		इन्फारमल शॉपिंग	न्यूनतम	10
070	स्थानीय दुकानें	शापिंग	न्यूनतम	60

		प्रसाधन सुविधा	न्यूनतम	05
		इन्फारमल शॉपिंग	न्यूनतम	15
		कार्यालय स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम	15
		सर्विस ऐरिया	न्यूनतम	05
071	साप्ताहिक हाट बाजार	शॉपिंग	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधा	न्यूनतम	05
		इन्फारमल शॉपिंग	न्यूनतम	60
		कार्यालय	न्यूनतम	15
		सर्विस ऐरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम	05
072	व्यवसायिक कार्पोरेट कार्यालय	कार्पोरेट ऑफिस	न्यूनतम	60
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		होटल	न्यूनतम	15
		शॉपिंग	अधिकतम	15
073	सिनेमा हॉल	सिनेमा हॉल	न्यूनतम	60
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम	15
		शॉपस्	अधिकतम	05
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम	10
		फोयर	न्यूनतम	05
074	होटल	होटल	न्यूनतम	50
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
		शॉपस्	अधिकतम	03
		कांफ्रेंस	अधिकतम	10
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम	10
		किचन	न्यूनतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
		स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम	05
		वॉशिंग	न्यूनतम	03

		लांड्री	न्यूनतम 02
075	मोटल	मोटल रूम	न्यूनतम 50
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02
		शॉपस्	अधिकतम 05
		कांफ्रेन्स	अधिकतम 10
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम 10
		किचन	न्यूनतम 05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10
		स्टोर	न्यूनतम 05
		वॉशिंग	न्यूनतम 03
076	रेस्टोरेन्ट	रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम 65
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		शॉपिंग	न्यूनतम 15
		प्ले झोन	न्यूनतम 05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05
077	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा-केन्द्र	ईंधन भराव क्षेत्र	भूमि विकास नियम अनुसार
		सर्विस स्टेशन, जनरल शॉप, ऑटो पार्ट्स	भूमि विकास नियम अनुसार
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05
078	व्यवसाय	व्यवसाय	न्यूनतम 75
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05
079	ऑटो सर्विस स्टेशन/ मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70
		जनरल शॉप	अधिकतम 05
		ऑटो पार्ट्स शॉप	अधिकतम 13
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05

		ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
080	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	स्टोरेज / गोदाम	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम	10
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम	10
081	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम	10
		फायर फायटिंग	न्यूनतम	10
082	जंकयार्ड	जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम	15
		फायर फायटिंग	न्यूनतम	05
083	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी.गोदाम	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम. सी.जी.गोदाम	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	10
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम	10
		फायर फायटिंग	न्यूनतम	05
		फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय	अधिकतम	05
084	कॉल सेन्टर	कॉल सेन्टर	न्यूनतम	80
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम	10
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम	10
085	ए.टी.एम.	ए.टी.एम.	अधिकतम	80
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम	20
086	मैरिज हॉल	मैरिज हॉल	न्यूनतम	40
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05

		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम 15
087	बारात घर	हॉल	न्यूनतम 40
		प्रशासकीय	अधिकतम 10
		स्टोर	न्यूनतम 05
		ठहरने हेतु कमरें	न्यूनतम 10
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम 15
088	कल्याण मंडपम	हॉल	न्यूनतम 40
		प्रशासकीय	अधिकतम 10
		स्टोर	न्यूनतम 05
		ठहरने हेतु कमरें	न्यूनतम 10
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम 15
089	मांगलिक भवन	हॉल	न्यूनतम 40
		प्रशासकीय	अधिकतम 10
		स्टोर	न्यूनतम 05
		ठहरने हेतु कमरें	न्यूनतम 10
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		डायनिंग ऐरिया	न्यूनतम 15
090	मैरिज गार्डन	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40

		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरें	अधिकतम 10	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 05	
		किचन / पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
091	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कार्गो / वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी., गोदाम	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फायटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
092	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	शोरूम	न्यूनतम 40	
		सर्विस स्टेशन	अधिकतम 30	
		प्रशासकीय प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फायटिंग	न्यूनतम 05	
		रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
093	प्रिन्टिंग प्रेस	प्रिन्टिंग प्रेस	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		स्टेशनरी	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
094	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	पेट्रोलियम डिपो	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

		केन्टीन	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 15
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
095	गैस गोडाउन	गैस गोडाउन	न्यूनतम 50
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		केन्टीन	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 15
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
096	अनाज मण्डी	अनाज मण्डी	न्यूनतम 55
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		केन्टीन	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		बैंक	अधिकतम 02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम 03
097	सब्जी एवं फल मण्डी	सब्जी एवं फल मण्डी	न्यूनतम 55
		प्रशासकीय	अधिकतम 03
		केन्टीन	अधिकतम 05

		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		गेस्ट हाउस	अधिकतम	02
		वाहन मरम्मत	अधिकतम	03
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम	03
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम	03
		वेविंग ब्रीज	न्यूनतम	03
098	लोहा मण्डी	लोहा मण्डी	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम	04
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम	02
099	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम	10

		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम	05
100	सी.एन.जी.केन्द्र	सी.एन.जी. केन्द्र	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम सुविधाएं दुकानें	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
101	सर्विस स्टेशन	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम सुविधाएं दुकानें	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
102	ब्यूटी पार्लर	ब्यूटी पार्लर	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा स्थान	न्यूनतम	05
103	तौल कांटा	तौल कांटा	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
104	थोक मार्केट	थोक मार्केट दुकानें	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	04

		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम	05
		लाजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम	02
105	दवाई मार्केट	दवाई मार्केट दुकानें	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	01
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		लाजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	02
106	स्टेशनरी मार्केट	स्टेशनरी मार्केट दुकानें	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	01
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
107	ऑटोमोबाईल मार्केट	ऑटोमोबाईल मार्केट दुकानें	न्यूनतम	45
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02

		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम	15
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	04
108	फायर वर्क्स मार्केट	फायर वर्क्स मार्केट दुकानें	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम	03
109	सर्राफा मार्केट	सर्राफा मार्केट	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02

		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
110	क्राकरी मार्केट	क्राकरी मार्केट	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
111	कपडा मार्केट	कपडा मार्केट	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
112	बर्तन बाजार	बर्तन बाजार	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03

		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
113	मरम्मत बाजार	मरम्मत बाजार	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
114	टिम्बर मार्केट	टिम्बर मार्केट	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
115	केमिकल बाजार	केमिकल बाजार	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03

		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
116	ई-चौपाल	ई-चौपाल	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन फूड झोन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम	05
117	कम्प्यूटर सेन्टर	कम्प्यूटर सेन्टर	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
118	इन्फार्मल शॉपिंग	इन्फार्मल शॉपिंग	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		बैंक	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
119	बैंक्वेट हॉल	बैंक्वेट हॉल	अधिकतम	55

		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	03
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम,ठहरने के कमरें	अधिकतम	15
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
120	एफ.एम.सी.जी	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	अधिकतम	65
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
121	वेयर हाउस	वेयर हाउस	अधिकतम	65
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
122	कोल यार्ड	कोल यार्ड	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03

		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
123	मीट मार्केट	मीट मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक ए.टी.एम	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 01	
124	सायबर केफे	सायबर केफे	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
125	ढाबा	ढाबा	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम,	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक ए.टी.एम	अधिकतम 05	
		सुविधा / मरम्मत दुकानें	अधिकतम 10	
126	रेल / एयर टिकिट घर	रेल / एयर टिकिट घर	न्यूनतम 70	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	

		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
127	खुला रंग मंच	खुला रंग मंच	अधिकतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक ए.टी.एम	अधिकतम	05
128	योग केन्द्र	योग केन्द्र	अधिकतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
129	आध्यत्मिक केन्द्र	आध्यत्मिक केन्द्र	अधिकतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
130	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05

		बैंक / ए.टी.एम सुविधा दुकानें	अधिकतम	10	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
131	सामाजिक कल्याण केंद्र	सामाजिक कल्याण केंद्र	अधिकतम	60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री	अधिकतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		बैंक / ए.टी.एम सुविधा दुकानें	अधिकतम	10	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
132	लायब्रेरी	लायब्रेरी	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन	अधिकतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	15	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		बैंक / ए.टी.एम सुविधा दुकानें	अधिकतम	10	
133	धार्मिक परिसर	धार्मिक परिसर	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन / किचन पेन्ट्री	अधिकतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	10	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03	
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	02	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05	
134	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	न्यूनतम	40	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	05	

		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		बैंक/ए.टी.एम	अधिकतम	10	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम	05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05	
		होटल	न्यूनतम	10	
135	नाट्य गृह	नाट्य गृह	न्यूनतम	50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन/किचन,पेन्ट्री,डाईनिंग	न्यूनतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		बैंक/ए.टी.एम	अधिकतम	05	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम	05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05	
136	कम्यूनिटी हॉल	कम्यूनिटी हॉल	न्यूनतम	50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम	05	
		केन्टीन/किचन,पेन्ट्री,डाईनिंग	न्यूनतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम	05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05	
		बैंक/ए.टी.एम	अधिकतम	05	
		लायब्रेरी	अधिकतम	05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम	05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05	

137	स्वयं सेवी संस्थान	स्वयं सेवी संस्थान	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम	05
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
138	क्रेंच / झुलाघर	क्रेंच / झुलाघर	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम	05
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		लायब्रेरी	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		139	आर्ट / गैलरी संग्रहालय	आर्ट / गैलरी संग्रहालय
प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम			05
केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम			05
स्टोर	न्यूनतम			05
रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम			05
प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम			05
लायब्रेरी	अधिकतम			05
सुविधा दुकानें	अधिकतम			05
प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम			05
140	खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क			खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02

		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	03
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम	05
141	गोल्फ कोर्स	गोल्फ कोर्स	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	02
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	01
		लायब्रेरी	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	02
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम	02
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		क्लब	अधिकतम	02
		जिम, फिटनेस क्लब	अधिकतम	02
		ऑडिटोरियम थियेटर	अधिकतम	03
142	एम्प्लूजमेन्ट पार्क / मय राईड्स कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	एम्प्लूजमेन्ट पार्क / मय राईड्स	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	02
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	01
		लायब्रेरी	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम	03

		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		क्लब	अधिकतम	03
		जिम,फिटनेस क्लब	अधिकतम	02
		ऑडिटोरियम पूल	अधिकतम	05
		होटल	न्यूनतम	05
143	क्लब / रिसोर्ट	क्लब / रिसोर्ट	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	02
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	01
		लायब्रेरी	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		मिडिया सेन्टर	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		क्लब	अधिकतम	03
		जिम,फिटनेस क्लब	अधिकतम	02
		ऑडिटोरियम थियेटर	अधिकतम	05
144	धुडसवारी प्रशिक्षण स्कूल	धुडसवारी प्रशिक्षण स्कूल	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	03
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	03
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	01
		लायब्रेरी	अधिकतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		क्लब	अधिकतम	03

		जिम,फिटनेस क्लब	अधिकतम	02
		ऑडिटोरियम	अधिकतम	05
145	जिम्नेशियम मय प्रल गेम,स्नेकस एवं जूस शॉप,योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	जिम्नेशियम मय पूल गेम,स्नेकस एवं जूस शॉप,योग केन्द्र	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	03
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	03
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	01
		लायब्रेरी	अधिकतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		क्लब	अधिकतम	10
146	बोट क्लब	बोट क्लब	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	10
		टिकट काउन्टर	अधिकतम	02
147	आंतरिक स्टेडियम	आंतरिक स्टेडियम	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / किचन / पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	02

		सुविधा दुकानें/मॉल	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		टिकट काउन्टर	न्यूनतम	02
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम	02
		क्लब	न्यूनतम	02
		स्वीमिंग पुल	न्यूनतम	02
		होस्टल/होटल	न्यूनतम	05
148	स्टेडियम	स्टेडियम	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट/केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक/ए.टी.एम	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें/मॉल	अधिकतम	05
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		टिकट काउन्टर	न्यूनतम	03
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम	03
		क्लब	न्यूनतम	03
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम	02
		होस्टल/होटल	न्यूनतम	05
149	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट/केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
		बैंक/ए.टी.एम	अधिकतम	01
		सुविधा दुकानें/मॉल/मल्टीप्लेक्स /सुपर बाजार	अधिकतम	10
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02

		टिकट काउन्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
150	आरचर्ड	आरचड	---	7.5 X7.5 मी.
		स्टोर	---	10.0 X10.0 मी.
		रेस्ट रुम	---	6.0X 6.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएं	---	6.0X 6.0 मी.
		किचन,पेन्ट्री	---	10.0 X10.0 मी.
		नर्सरी	---	
151	तरणताल	तरणताल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रुम / गेस्ट रुम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउन्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		शॉपिंग	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
152	पिकनिक हाट	पिकनिक हाट	---	प्रत्येक हाट
		स्टोर	---	7.5 X 7.5 मी.
		रेस्ट रुम	---	7.5X 7.5 मी.
		प्रसाधन सुविधाएं	---	10.0 X10.0 मी.
		किचन,पेन्ट्री	---	6.0X 6.0 मी.
		नर्सरी	---	

				6.0X 6.0 मी.
153	फलाईंग क्लब	फलाईंग क्लब / जिम	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम	02
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	03
154	फिटनेस क्लब	फिटनेस क्लब / जिम	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		ए.टी.एम	अधिकतम	02
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी / कंसलटेशन	न्यूनतम	03
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
155	मेला मैदान	मेला मैदान	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
		ए.टी.एम	अधिकतम	01

		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01
		प्ले ऐरिया	अधिकतम 05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01
		मीडिया रूम	अधिकतम 01
		ओपर एयर थियेटर	अधिकतम 05
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05
156	नर्सरी	नर्सरी	न्यूनतम 65
		कार्यालय / स्टोर	अधिकतम 15
		स्टोर	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10
157	पक्षी अभ्यारण	पक्षी अभ्यारण	न्यूनतम 55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03
		स्टोर	न्यूनतम 05
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम 04
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		संग्रहालय	अधिकतम 02
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05
		नर्सरी	न्यूनतम 05

158	वनस्पति उद्यान	वनस्पति उद्यान	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		संग्रहालय	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम	05
नर्सरी	न्यूनतम	05		
159	प्राणी उद्यान	प्राणी उद्यान	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		संग्रहालय	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05

		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम	05
		नर्सरी	न्यूनतम	05
160	मत्स्यालय	मत्स्यालय	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		संग्रहालय	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम	05
		नर्सरी	न्यूनतम	05
161	केम्पिंग साइट	केम्पिंग साइट	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02

		संग्रहालय	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम	05
		नर्सरी	न्यूनतम	05
162	वाटर पार्क मय राईड्स कियोस्क,संधारण कार्यालय डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	वाटर पार्क	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		संग्रहालय	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम	05
		नर्सरी	न्यूनतम	05
163	रिसार्ट / पर्यटक कूटीर	रिसार्ट / पर्यटक कूटीर	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02

		प्ले ऐरिया	अधिकतम 05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		संग्रहालय	अधिकतम 02
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05
		नर्सरी	न्यूनतम 05
'kkl dh; xfrfof/k; kW			
164	शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय / अर्धशासकीय / उपक्रम कार्यालय प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 50
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 02
		स्टोर	न्यूनतम 03
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 03
		ए.टी.एम	न्यूनतम 03
		प्रतीक्षा कक्ष	अधिकतम 01
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 02
		लायब्रेरी	अधिकतम 05
		प्ले ऐरिया	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 05
		संग्रहालय	अधिकतम 02
		प्रदर्शनी	अधिकतम 02
		नर्सरी	अधिकतम 15
165	न्यायालय	न्यायालय	न्यूनतम 50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 04
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03
		स्टोर	न्यूनतम 10
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02

		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	05
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	05
		नर्सरी	अधिकतम	05
166	जेल	जेल	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम / बैंक	अधिकतम	02
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	03
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		प्रदर्शनी	अधिकतम	03
		नर्सरी	न्यूनतम	01
		संग्रहालय	अधिकतम	02
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम	03
		आर्ट एवं क्राफ्ट	अधिकतम	03
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	स्थानीय निकाय कार्यालय	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03

		ए.टी.एम / बैंक	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03
		प्ले ऐरिया	अधिकतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03
		नर्सरी	न्यूनतम 01
		संग्रहालय	अधिकतम 01
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 02
		वर्कशॉप	अधिकतम 03
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
168	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम / बैंक	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
169	पुलिस पोस्ट	पुलिस पोस्ट	न्यूनतम 65
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 10
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05

170	बैंक	बैंक	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
I ko/tfud I ok, a , oa I fo/kk, a				
171	शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय अर्धशासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	80
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम	03
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम	02
		मनोरंजन / सांस्कृतिक / लायब्रेरी / जिम	अधिकतम	05
		प्ले एरिया	अधिकतम	05
172	पोस्ट ऑफिस	पोस्ट ऑफिस	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05

173	दूर संचार टावर/ स्टेशन	दूर संचार टावर/ स्टेशन	न्यूनतम	60	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन	न्यूनतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03	
		ए.टी.एम	अधिकतम	01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05	
174	जल शोधन संयंत्र	जल शोधन संयंत्र	न्यूनतम	50	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम	05	
		केन्टीन	न्यूनतम	05	
		स्टोर	न्यूनतम	05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03	
		ए.टी.एम/ बैंक	अधिकतम	01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02	
		प्ले ऐरिया	अधिकतम	03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम	03	
		नर्सरी	न्यूनतम	01	
		संग्रहालय	अधिकतम	02	
मनोरंजन/ सांस्कृतिक	अधिकतम	03			
वर्क शॉप	अधिकतम	03			
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05			
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेन्ट	कम्बाईन्ड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	न्यूनतम	55	

	प्लान्ट	प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	04
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	07
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	04
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
176		वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार	न्यूनतम
	संयंत्र		अधिकतम	05
	प्रशासकीय / सुरक्षा		न्यूनतम	05
	केन्टीन		न्यूनतम	05
	स्टोर		अधिकतम	05
	रेस्ट रूम		अधिकतम	02
	प्रसाधन सुविधाएं		न्यूनतम	03
	ए.टी.एम		अधिकतम	01
	प्रतीक्षा क्षेत्र		न्यूनतम	03
	सुविधा दुकानें		अधिकतम	03
	लायब्रेरी		न्यूनतम	02
	प्राथमिक उपचार		अधिकतम	02
	स्टाफ क्वार्टर		अधिकतम	05
	जनरेटर	न्यूनतम	02	
177	दूर संचार केन्द्र	दूर संचार केन्द्र	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07

		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
178	ट्रांसमिशन टॉवर / वायरलेस स्टेशन	ट्रांसमिशन टॉवर / वायरलेस स्टेशन	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
179	रेडियो स्टेशन	रेडियो स्टेशन	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03

		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
180	वैधशाला	वैधशाला	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
181	अग्निशमन केन्द्र	अग्निशमन केन्द्र	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05

		जनरेटर	न्यूनतम 02	
182	टेलीविजन स्टेशन	टेलीविजन स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		183	मौसम कार्यालय	मौसम कार्यालय
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 07			
रेस्ट रूम	अधिकतम 02			
प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03			
ए.टी.एम	अधिकतम 01			
प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 03			
लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02			
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05			
जनरेटर	न्यूनतम 02			
184	विद्युत सब स्टेशन			विद्युत सब स्टेशन
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	

		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
185	श्मशान / कब्रस्तान / सिमिट्री	श्मशान / कब्रस्तान / सिमिट्री	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
186	दूर संचार टॉवर	दूर संचार टॉवर	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02

		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
187	गौशाला	गौशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 07			
रेस्ट रूम	अधिकतम 02			
प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03			
ए.टी.एम	अधिकतम 01			
प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 03			
लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02			
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05			
जनरेटर	न्यूनतम 02			
189	दूरभाष केन्द्र	दूरभाष केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
190	विन्ड मिल्स / फार्म	विन्ड मिल्स / फार्म	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		ए.टी.एम	अधिकतम 01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
191	सार्वजनिक मुत्रालय	सार्वजनिक मुत्रालय	न्यूनतम 90
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05
		स्टॉर	न्यूनतम 05
192	विधुत शवदाह गृह	श्मशान / कब्रिस्तान / सिमिट्री	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 10
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03

		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
193	ओवर हेड पानी की टंकी	ओवर हेड पानी की टंकी	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
194	भूमिगत पानी की टंकी	भूमिगत पानी की टंकी	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
195	ऑक्सीडेशन पौंड	ऑक्सीडेशन पौंड	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02

		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
196	सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक	न्यूनतम 100	
197	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
198	घूरा एवं कचराघर	घूरा एवं कचराघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
199	धोबी घाट	धोबी घाट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	

		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
विकास क्षेत्र I (a)				
200	एग्री स्टार उद्योग	एग्री स्टार उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
201	डेयरी प्लान्ट	डेयरी प्लान्ट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 07
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
		जिम हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02
204	स्लाटर हाउस	स्लाटर हाउस	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 09
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
205	फेलेटेड फैक्ट्री	फेलेटेड फैक्ट्री	न्यूनतम 60
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05
		केन्टीन	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 09
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03

		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
206	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	09
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	03
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
207	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	03
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		जिम हेल्थ क्लब	न्यूनतम	02
208	फूड पार्क	फूड पार्क	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02

		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	01
		जिम हेल्थ क्लब	न्यूनतम	02
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम	02
209	सॉफ्टवेयर पार्क	सॉफ्टवेयर पार्क	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	03
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट	अधिकतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	02
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	01
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	01
		जिम, हेल्थक्लब	न्यूनतम	02
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		टेस्टिंग लेब / रिसर्च लेब	न्यूनतम	02
		मॉल / मल्टीप्लेक्स / सुपर मार्केट	न्यूनतम	05
		क्लब / स्विमिंग पूल	अधिकतम	02
		आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम	05
210	दुग्ध केन्द्र	दुग्ध केन्द्र	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	09

		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03
		सुविधा दुकानें बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05
		जनरेटर	न्यूनतम 02
; krk; kr I fo/kk, a			
211	बस स्टेण्ड	बस स्टेण्ड	न्यूनतम 50
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 05
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम 03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02
		क्लाक रूम / टिकिट काउन्टर	न्यूनतम 01
		इंटरनेट केफे / एस.टी.डी. पी.सी. ओ	न्यूनतम 01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट आफिसेस	न्यूनतम 02
212	बस टर्मिनल	बस टर्मिनल	न्यूनतम 55
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 04

		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	02
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम	04
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम / टिकट काउन्टर	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम	02
213	पिकअप स्टेशन	पिकअप स्टेशन	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	03
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		क्लाक रूम / टिकट काउन्टर	न्यूनतम	03
214	बस स्टॉप	बस स्टॉप / प्रतिक्षालय	न्यूनतम	80
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	10
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	10
215	यातायात नगर	गोदाम, ट्रॉन्सपोर्ट संबंधी दुकानें	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	03
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02

		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	03
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम	05
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्स आफिसेस	न्यूनतम	02
		ट्रान्सपोर्ट संबंधी शोरुम	अधिकतम	05
216	मैकेनिक नगर	ट्रान्सपोर्ट वाहन सुधारी संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम	03
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	03
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	02
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम	न्यूनतम	01

		इन्टरनेट केफे,एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्स ऑफिसेस	न्यूनतम	02
		ट्रॉन्सपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम	05
217	ऑटो स्टेण्ड/टैक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड/टैक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम	05
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		ए.टी.एम	अधिकतम	05
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकान/वर्कशॉप	न्यूनतम	15
218	मल्टी लेवर पार्किंग	मल्टी लेवर पार्किंग	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम	03
		केन्टीन	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम	अधिकतम	03
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकान/सुविधा दुकानें	अधिकतम	06
219	बस डिपो/कर्मशाला	बस डिपो/कर्मशाला	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम	05
		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट/केफेटेरिया/	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधा/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04

		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम	05
		लाजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम / टिकिट काउन्टर	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्सी ऑफिसेस	न्यूनतम	02
220	कार्गो	गोदाम / ट्रान्सपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	04
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम	04
		स्टोर	न्यूनतम	04
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	04
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम	04
		लाजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्सी ऑफिसेस	न्यूनतम	02
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम	05
221	पार्किंग	पार्किंग	न्यूनतम	65
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	05

		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट	अधिकतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	02
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	03
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधा/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम	05
		क्लाक रूम	अधिकतम	02
222	कन्टेनर डिपो	कन्टेनर डिपो/गोदाम/ट्रॉन्सपोर्ट संबंधी कार्यालय	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम	04
		केन्टीन/रेस्टोरेन्ट/केफेटेरिया/ढाबा	अधिकतम	04
		स्टोर	न्यूनतम	04
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	04
		प्रसाधन सुविधा/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट आफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत/वर्क शॉप	न्यूनतम	04
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लाक रूम	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे,एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्सी ऑफिसेस	न्यूनतम	02
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम	05
223	ड्राई पोर्ट/कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं	ड्राई पोर्ट/कन्टेनर डिपो/गोदाम/ट्रॉन्सपोर्ट एवं फॉर्वेडिंग एजेन्सी संबंधी कार्यालय	न्यूनतम	50

	फॉरवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम	04
		केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम	04
		स्टोर	न्यूनतम	04
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम	04
		प्रसाधन सुविधा / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम	03
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम	02
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
		प्रतिक्षालय	न्यूनतम	03
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम	04
		लाजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम	03
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम	02
		क्लॉक रूम	न्यूनतम	01
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी.पीसीओ	न्यूनतम	01
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्सी ऑफिसेस	न्यूनतम	02
कम्पनी शोरूम	अधिकतम	05		
224	एयर पोर्ट / विमान तल	एयरपोर्ट / विमान तल	विमान तल प्राधिकरण के मापदण्ड अनुसार	
225	मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन	मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन	मेट्रो रेल प्राधिकरण के मापदण्ड अनुसार	
226	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	न्यूनतम	75
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	10
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
xkeh.k {ks= xfrfof/k; ka				
227	मुर्गी पालन केन्द्र	मुर्गी पालन केन्द्र	न्यूनतम	65

		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	05
228	फार्म हाउस	फार्म हाउस	मध्यप्रदेश विकास अनुसार	भूमि नियम
229	डेयरी	डेयरी	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
230	पशु पालन केन्द्र	पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
231	पशु शोध केन्द्र	पशु शोध केन्द्र	न्यूनतम	50
		पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम	10
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05

		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
232	ग्रामीण केन्द्र	ग्रामीण विकास केन्द्र	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
233	अनाज गोदाम	अनाज गोदाम	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय	अधिकतम	10
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
234	भवन सामग्री बोर्ड	भवन सामग्री बोर्ड	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	10
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04

		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	04
235	मेरिज गार्डन	मेरिज गार्डन	न्यूनतम	55
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	06
		स्टोर	न्यूनतम	06
		ए.टी.एम.	अधिकतम	03
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	04
		प्लान्ट मशीनरी	अधिकतम	04
		जनरेटर	न्यूनतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		गेस्ट रूमस	अधिकतम	05
236	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
237	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	न्यूनतम	70
		प्रशासकीय	अधिकतम	05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	05
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
238	आंगनवाडी	आंगनवाडी	न्यूनतम	70

		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05
239	औषधालय	औषधालय	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05
		स्टोर	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05
240	कृषि उपकरण कर्मशाला	कृषि उपकरण कर्मशाला	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03
		स्टोर	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02
241	चौपाल	चौपाल	न्यूनतम 70
		प्रशासकीय	अधिकतम 05
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03
		स्टोर	न्यूनतम 05
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02
		स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03
242	उत्सव स्थल	उत्सव स्थल	न्यूनतम 55

	प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	02
	केन्टीन / रेस्टोरेन्ट / केफेटेरिया	न्यूनतम	03
	रेस्ट रूम	अधिकतम	03
	स्टोर	न्यूनतम	05
	प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम	02
	ए.टी.एम.	अधिकतम	01
	प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	01
	सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
	लायब्रेरी	न्यूनतम	01
	प्ले एरिया	अधिकतम	05
	प्राथमिक उपचार	अधिकतम	01
	मीडिया रूम	अधिकतम	01
	ओपन एयर थियेटर	अधिकतम	05
	प्रदर्शनी	अधिकतम	05
	मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम	05

ukV % 1- U; qre Jskh dh xfrfof/k; ka vfuok; Z Lo: i dh gS rFkk vf/kdre Jskh dh xfrfof/k; k , fPNd Lo: i dh gS
2- , fPNr Lo: i dh xfrfof/k; ka dC ifr'kr ea i kst DV@ifj; kstuk dh vko'; drk vuq i]l {ke vf/kdkjh ifjorZu dj l dCkA

4-14 orZeku fodfl r {ks= gsrqfodkl fu; e %

भवन की ऊंचाई आहाते की दीवार की ऊंचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

¼½ orZeku vkokl h; {ks=

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

उपरोक्त मार्गों की चौड़ाई 9.00 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिये फर्शीक्षेत्र अनुपात 1.50 तक अनुज्ञेय होगा।

4-सा-10

वर्गमीटर से कम	प्रतिशत	फर्शीक्षेत्र अनुपात
90 वर्गमीटर से कम	75 प्रतिशत	1.50
90 से 180 वर्गमीटर तक	66 प्रतिशत	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60 प्रतिशत	1.25

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परसरो के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

जिन कॉलोनीयों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हो उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे। जबकी, कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिये नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनःनिर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी -

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भूतल पर प्रस्तावित कुल फर्शीक्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (ग) फर्शीक्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शीक्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 2 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।
- (ङ) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा किन्तु होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भूखण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

-25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
-25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
- फर्शीक्षेत्रानुपात	2.00

टीप:- (1) वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।

(2) किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का 2 गुना फर्शीक्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

1/2 or 1/3 ekxZ ij okf.kT; d xfrfof/k; k

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां, मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

(क) वाणिज्यिक मार्ग

(ख) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शीक्षेत्र अनुपात निम्न सारणी में दर्शाए गये हैं।

uhp %or 1/2 okf.kT; d {ks= ea ekxZ dh pMkbZ , oa Q' khZ {ks= vuq kr

4-सा-11

vuq Ø-	ekxZ dk uke	oxhZdj . k	ekxZ pMkbZ 1/2		Q' khZ {ks= vuq kr
			or 1/2	i Lrkfor	
1	2	3	4	5	6
1	टैगोर मार्ग	सी	25-35	35	2.5
2	तिलक मार्ग	सी	9-13	12	2.5
3	अशोक मार्ग / मूलचंद मार्ग	आर.सी.	18-24	24	2.0
4	वीरपार्क मार्ग	सी	12-20	18	2.0
5	पुस्तक बाजार मार्ग	सी	10-12	12	2.5
6	दाना ओली मार्ग	सी	10-12	12	2.0
7	बोहरा बाजार मार्ग	सी	-	वर्तमान चौड़ाई यथावत	2.0
8	घंटाघर मार्ग	सी	8-10	9	2.0
9	पिंजारा मार्ग	आर.सी	10-12	12	2.0
10	वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (सब्जी मण्डी मार्ग)	सी	15-18	18	2.0
11	वीरपार्क मार्ग से कमल चौक (छात्रावास मार्ग)	सी	18-24	24	2.0

12	वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (जैन भवन मार्ग)	सी	12-15	15	2.0
13	महू-नसीराबाद मार्ग (प्रायवेट बस स्टेण्ड चौराहे से तहसील चौराहा तक)	आर.सी	20-30	30	2.50
14	अम्बेडकर मार्ग	सी	24-30	30	2.0
15	मनासा मार्ग -शो रुम चौराहे से रेस्ट हाऊस से आगे नीमच सिटी यादव मण्डी जाने वाले मार्ग संगम तक	सी	24-30	30	2.0

Vhi %

- (1) सी-वाणिज्यिक, आर.सी.-आवासीय सह वाणिज्यिक।
- (2) जिन स्थानों पर मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक है, वहां पर वर्तमान चौड़ाई ही यथावत रहेगी।
- (3) वाणिज्यिक मार्गों पर उक्त उपयोग हेतु अधिकतम गहराई मार्ग की चौड़ाई का दोगुना अथवा 30 मीटर जो की कम हो, मान्य होगी।
- (4) वाणिज्यिक क्षेत्र में तलघर, भूतल पर निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात में सम्मिलित नहीं होगा।

fufelr {ks=

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जावेगी-

- 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्ड - 100 प्रतिशत
 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड - 90 प्रतिशत

1/2 or'eku | ko'zfud , oa v) | ko'zfud

उक्त हेतु निम्न मापदण्ड अपनाए जावेंगे -

uhev % | ko'zfud rFkk v) | ko'zfud grqfodkl fu; eu

4-सा-12

Ø-	fooj .k	vkPNkfnr {ks=	Q' kHz {ks=kuq kr
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	नर्सरी स्कूल	50 प्रतिशत	1.5
5	अस्पताल	40 प्रतिशत	1.5

6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन स्थल	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

Vhi % 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

4-15 I keW; vfhk'kd k, a

समस्त शासकीय भूखण्ड, जो नगर में इधर-उधर बिखरे हुये हैं, को किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर नहीं देते हुये क्रियान्वयन संस्था/प्राधिकारी को विकास हेतु सौंप देना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस नीति से नियोजित एवं समन्वित विकास हो सकेगा तथा साथ ही शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

नीमच विकास योजना 2011 का क्रियान्वयन अपेक्षानुसार न होने का मुख्य कारण विकास से संबंधित संस्थाओं, निकायों के शिथिल प्रबंधन एवं योजना काल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है। जिसके फलस्वरूप जनसाधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका। योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर एवं आर्थिक विकास हेतु अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन आवश्यक है।

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है। नीमच विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसके गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका नीमच द्वारा वहन किया जावेगा। विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। इसलिये यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

5-1 fodkl ; kst uk dk fØ; kÙo; u

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग 137888 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु 1250.20 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति एवं 70 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय जिसमें नए मार्गों पर पुलों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य शामिल है।

भू-अर्जन की औसत दर 45.0 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि के उपयोग प्रकार के अनुसार अलग-अलग मानी गई है। सम्पूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारिणी 5-सा-1 में दर्शाई गई है।

uhp % ; kst uk fØ; klo; u dh ykxr ½2031½

5-सा-1


Ø-	Hkñie mi ; kx foøj .k	{ks= ½gDV\$ j e½			Hk&vtL ykxr ¼ - 45-00 yk[k ifr gDV\$ j dh nj l ½	vftir Hkñie dC 70 ifr'kr			dy ykxr ¼ - yk[k e½ ½6+9½
		iLrkfor	or½ku	'k\$		{ks= gDVj ea	fodkl nj ifr gDV\$ j ½yk[k e½	Ykxr ½yk[k : -e½	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आवासीय	1077	385.0	692	31140.0	484.4	30	14532.0	45672.0
2	वाणिज्यिक	210.	62.50	147.50	6637.50	103.25	80	8260.0	14897.50
3	औद्योगिक	200	40.50	159.50	7177.50	111.65	80	8932.0	16109.50
4	सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक तथा उपयोगिताए	275	110.50	164.50	7402.50	115.15	60	6909.0	14311.50
5	आमोद-प्रमोद	290	27.00	263.00	11835.00	184.10	25	4602.50	16437.50
6	यातायात एवं परिवहन	448	88.50	359.50	16177.50	251.65	50	12582.50	28760.00
7	ओवर ब्रिज	1 नग	—	—	एक मुश्त	—	—	1200.0	1200.0
8	क्षतिपूर्ति	एक मुश्त	—	—	एक मुश्त	—	—	500.0	500.0
; kx		2500	714.00	1786.0	80370.0	1250.20	—	57518.0	137888.0





5-2 ; kst uk fØ; klo; u uhfr


योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। नीमच विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई हैं, उनका उल्लेख अध्याय-1 में किया गया है, जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है:-

नीमच
5.1 प्रथम चरण




- आवासीय 
- वाणिज्यिक 
- औधौगिक 
- सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 
- यातायात नगर 
- आमोद प्रमोद 
- मार्ग 
- ओव्हर ब्रिज 



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन भोपाल (म0प्र0)



1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
 2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्द्धन।
 3. भूमि का कुशलतम उपयोग।
 4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
 5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
 6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।
- इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:—
- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम।
- (ब) नगर संरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
 8. किसी भी तरह के भू-उपयोग 9 मीटर चौड़े मार्ग से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।
 9. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिकी व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
 10. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचरा घर हेतु कम से कम 20x20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा, जहां से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सके, जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
 11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखंड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (1) (i) (ii) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो नियंत्रित होगा।

5-3 i ; kbj.k iɔɔku , oal j{k.k dk; Øe

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन समस्त पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण, उनकी जल गुणवत्ता उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरणीय समस्यायें जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

i ; kbj.k iɔɔku , oal j{k.k dɕ iæɕk rRo

उपरोक्त संवेदनशील बिंदुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं—

1. तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में स्टॉप डेम द्वारा भूक्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
4. तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

5-4 uxjh; v/kkl jpkuk , oa l ok ; kst uk

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा –

- 0 संस्था गठन।
- 0 विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- 0 भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- 0 नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

उक्त के तीन प्रमुख तत्व हैं—

1- fu; f=r fodkl

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

2- v/kkl jpkuk Hkfe cfd dk xBu

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

3- , dhdr uxj fodkl dk; Øe r\$ kj djuk

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आयेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम होगा। वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वयकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया

जायेगा जो कंडिका 5.6 के संदर्भ में होगा। यह कार्यक्रम भूमि अर्जन लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखंड एवं उपवृत्तखंड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर तंत्र तथा प्रमुख सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्र में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि का सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका 'सुविधादायक' के रूप में होना चाहिए। इस हेतु क्रियान्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अंगीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं पर निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :-

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजनायें तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें सहभागिता के आधार पर समन्वित हो सके जिससे विकास गतिशील हो सके।
6. समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

5-5 Hkfe fodkl ulfr

5-5-1 fodkl i cdku

भूमि प्रदाय को बढ़ाने के लिए राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में भू स्वामियों को निम्न प्रलोभन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है-

(क) भूमि स्वामियों को उनकी भूमि के बदले में विकसित भूखंड उपलब्ध कराना। इससे भूमि प्रदाय सरल होगा एवं निकायों को भूमि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) पुर्नविकास के क्षेत्रों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात को बढ़ाए जाने के प्रावधान रखे गये है।

5-5-2 ; kst uk; a , oa dkl; Øe

आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2021 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण योजना की शेष अवधि हेतु रहेगा। योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के

माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयवधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति का सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा।

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को कार्यरूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्ध विकसित भूखंडों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना।
5. योजना के दोनों चरणों की आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता, अधोसंरचना, पावरग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
7. भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुमति प्रणाली तैयार करना चाहिए।
8. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि निवेश इकाइयों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधन में गतिशीलता लाई जा सके।
- 9- मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केंद्रों की स्थापना।

5-5-3 एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैं —

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैं —

- 0 यह सुनिश्चित करना कि भूमि की उपलब्धता में कमी या उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो।
- 0 उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- 0 बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- 0 अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- 0 भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

5-6 i fke pj.k dk; Øe

प्रथम चरण कार्यक्रम में आलोच्य क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना विकास में नवीन नगरीय विस्तार का लगभग 682.0 हेक्टर क्षेत्र शामिल है। भूमि अधिग्रहण की लागत को मिलाकर उक्त क्षेत्र के वर्तमान दर से विकास में आने वाली लागत लगभग 52292.50 लाख रुपये अनुमानित है। उक्त का विवरण 5-सा-2 में दर्शाया गया है।

uhp % i fke pj.k fØ; kko; u dh ykxr

5-सा-2

Ø	Hkfe fooj.k	mi ; ksx	Hk&vtL dh		vfr Hkfe d 70 ifr'kr dk fodkl 0; ;		ykxr %yk[k : - e½	dy ykxr ¼\$7½ ¼yk[k : - e½
			Hkfrd y{;	Ykxr ¼5-0 yk[k ifr gDV\$ j½	{ks= gDV\$ j ea	fodkl nj ¼yk[k : - e½		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	आवासीय	250.0	11250.0	175.0	30	5250.0	16500.0	
2	वाणिज्यिक अ. ट्रांसपोर्ट नगर	55.0 10.0	2475.0 450.0	38.50 7.00	80 80	3080.0 560.0	5555.0 1010.0	
3	औद्योगिक	45.0	2025.0	31.50	80	2520.0	4545.0	
4	सार्वजनिक/अर्द्ध – सार्वजनिक एवं सार्व उपयोगिताएं	60.0	270.0	42.0	80	2520.0	2790.0	
5	आमोद-प्रमोद	75.0	3375.0	52.5	25	1312.50	4687.50	
6	यातायात एवं परिवहन अ. बस स्थानक	3.0	135.0	3.00	50	150.0	280.0	
	ब. मार्ग	184.0	8280.0	128.80	50	6440.0	14720.0	
	स. ओव्हर ब्रिज	—	—	—	एक मुश्त	1200.0	1200.0	
7	गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार	—	—	—	एक मुश्त	200.0	200.0	
8	वृक्षारोपण	—	—	—	एक मुश्त	300.0	300.0	
9	क्षतिपूर्ति	—	—	—	एक मुश्त	500.0	500.0	
	; ksx	682-0	28260-0	478-30		24032-50	52292-50	

uk/ % बस स्थानक का सम्पूर्ण क्षेत्रफल प्रथम चरण में लिया गया है।

5-7 I d k/ku xfr'khyrk

योजना क्रियान्वयन हेतु संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते हैं।
बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय

के अलावा) हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

5-8 ; kst uk lk; bsk.k ra

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने उपरांत ही तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र के स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है—

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप-परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

1. fu; kst u lk; bsk.k y{;

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:—

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
2. नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगरपालिका द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

2- i ; bsk.k l fefr dk xBu

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नीमच नगरपालिका का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः क्रियान्वित की जाने

वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-45/32/2010 दिनांक 15.04.2010, द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्र. 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

3- **okf"kd fodkl ifronu dk iLrqhdj.k**

नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिंदू भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5-9 ; kst uk dh 0; k[; k

नीमच विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं –

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखंड स्तर तथा खंड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैंड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य/स्वीकृत भूमि उपयोग की सूची में शामिल हैं, के भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।

परिशिष्ट

e/; i nsk jkti = Hkkx&nks
fnukad 2-11-1973 ea izdkf'kr

e/; i nsk 'kkl u
uxj , oa xkeh.k fu; kst u foHkkx

vf/kl ipuk

भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 1973

क्रमांक 2365/एफ-1-54/XXXIII/73-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा नीमच नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिलक्षित की गई है :-

अनुसूची

uhep fuosk {ks- dh I hek, a

1. mRrj ea & भोल्यावास, कनावटी, डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. if'pe ea & चंगेरा, खड़ावदा, लेवड़ा, धनेरियाकलां, कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक
3. nf{k.k ea & जागोली, अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक
4. iwl ea & हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

¼ e-, u-cp½

विशेष सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

e/; i n s k j k t i = H k x & 3 1/2
f n u k d 19-11-1976 e a i d l f ' k r

I a Ø r I p k y d] u x j , o a x t e h . k { k s = f u ; k s t u] e / ; i n s k b l n k j

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नीमच निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार समयक रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र समयक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

v u d p h

u h e p f u o s k { k s = d h I h e k , a

1. m R r j e a & भोल्यावास, कनावटी, डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. i f ' p e e a & चंगेरा, खड़ावदा, लेवड़ा, धनेरियाकलां, कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक
3. n f { k . k e a & जागोली, अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक
4. i w l e a & हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 15 नवम्बर 1976 से 22 नवम्बर 1976 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल :

नगरपालिका सभागृह

नीमच (म.प्र.)

हस्ताक्षर

W g h - d t t s i 1/2

संयुक्त संचालक

e/; i n s k ' k k l u
v k o k l , o a i ; k b j . k f o l k k x e a k y ;
v k n s k

भोपाल, दिनांक 15.04.2010

क्रमांक -एफ-3-45/32/2010 : राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ- 3-130/32/97 दिनांक 20.01.1998, आदेश क्रमांक एफ-3-55/32/98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97, दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नगर नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" समिति को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | |
| 2. संसद, संबंधित क्षेत्र | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत | सदस्य |
| 5. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम | सदस्य |
| 6. निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों के विधायक | सदस्य |
| 7. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका | सदस्य |
| 8. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत | सदस्य |
| 9. म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 10. संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत | सदस्य |
| 11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 13. म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सदस्य |
| 15. संयुक्त संचालक उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय | सदस्य सचिव |

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(स) क्रियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

१०"kkz ukoydj १/२

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

सूचना

क्र. एफ-3-14-2014-बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नीमच निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, नीमच, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, मध्यप्रदेश

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी. के साधव
उपसचिव

